खण्ड-417, अंक-5
बुधवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1917
(16 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–घ
नियम 311 के अन्तर्गत मथुरा से सम्बन्धित दी गयी सूचना को सर्व प्रथम लिये जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–80
नियम 301 की सूचनाएं	80
सीतापुर नगर एवं उसके आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती, खराब ट्रांसफार्मरों तथा सब स्टेशनों के न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
उत्तरांचल के लोगों को रोजगार मुहैया कराने हेतु लघु उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	81
*जनपद बांदा में जल कर में हुई अनियमित वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
गाजियाबाद के नागरिकों को बस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं सुपर बाजार खोले जाने के संबंध में नियम 301 की सूचना	82
जनपद बांदा के अतर्रा से कर्वी एवं मऊ तक का मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 की सूचना	82–83
बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 की सूचना	83
ग्राम चक अमचुर पेरुआ.पचपेढ़ा तहसील कर्वी जनपद बांदा को वन विभाग से राजस्व विभाग में लिये जाने के संबंध में नियम 301 की सूचना ...	83–84
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी)	84
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995 (सदन के पटल पर रखी गयी)	84

उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक, 1995 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 84–85

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत अर्जुनाह सरस्वाह मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदित किशोर अवस्थी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 85

उ० प्र० चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ... 85

उ० प्र० अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ... 85–86

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं० 39–भाषा विभाग (स्वीकृत) 86–87

अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) 87

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) 88

अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग (स्वीकृत) 88–89

अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (स्वीकृत) ... 89

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) 89–90

अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) 90

अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (स्वीकृत) ... 90

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) 90–91

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत) 91

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) 91

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग (स्वीकृत) 92

अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 92

अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) (स्वीकृत) ... 92

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ... 93

अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) 93

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) (स्वीकृत) ... 93–94

अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ... 94

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त (निदेशालय) (स्वीकृत) 94

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त (व्यापार कर) (स्वीकृत) ... 95

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ... 95

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ... 95–96

उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) 96–98

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 98–99

श्री शिव प्रताप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 16-8-95 के लिये निर्धारित वक्तव्य 99–100

नगर विकास विभाग में तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर वक्तव्य ... 100–102

जनपद आगरा में वन विभाग की लापरवाही व मिली भगत से अवैध कटान की शहर में बिक्री होने के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सूचना पर वक्तव्य... 102–104

गंगा नदी पर देव प्रयाग में वर्षा से निर्माणाधीन मोटर पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मातवर सिंह कण्डारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ... 104–105

नत्थियां 106–121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 16 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	ऊषा यादव, श्रीमती	एटा
अखिलेश, श्री	महराजगंज	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	गया चरण दिनकर, श्री	बांदा
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	घूरा राम, श्री	बलिया
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
इरशाद, श्री	आजमगढ़	जयराम कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
इश्तियाक अंसारी, श्री	गाजीपुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	जवाहर यादव उर्फ पंडित जी, श्री	इलाहाबाद
उपदेश सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद

ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
धू राम चौधरी, श्री	हमीरपुर
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बशीर उद्दीन, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	चमोली गढ़वाल
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशोर बिन्दु, श्री	वाराणसी
राम कृष्ण वर्मा, इंजी०	मेरठ
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा

शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सपीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुशीला सरोज, श्रीमती	हरदोई
स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी शंकर माहरा, श्री	अलीगढ़
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी०आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम-311 के अन्तर्गत मथुरा से सम्बन्धित दी गई सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हमने नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें ।

(कांग्रेस के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने से उत्पन्न व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया अपना आसन ग्रहण करें । पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें । कोई भी माननीय सदस्य यदि बिना मेरी अनुमति के बोलेंगे तो वह न तो लिखा जायेगा और न प्रकाशित होगा । मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया बैठ जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है । आज पूरा प्रदेश विषम स्थिति से गुजर रहा है । मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद् और सरकार में क्या समझौता हुआ है यह पूरा प्रदेश जानना चाहता है ?

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें । मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 ले रहा हूं । <u>नत्थी (क) अल्पसूचित तांकित प्रश्न संख्या-1</u>

(संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ने के मध्य कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

(फ्लोर से)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मथुरा में स्थिति बड़ी ही विकट हो गयी है । सरकार मथुरा में क्या कार्यवाही करने जा रही है । इसमें सरकार का कोई वक्तव्य आना चाहिए । आज वहां पर असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

(सर्वश्री नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, यशपाल आर्य, कोकब हमीद, राम स्वरूप सिंह, जगवीर सिंह, कामेश्वर उपाध्याय, राम प्रसाद टम्टा आदि माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े रहने तथा एक साथ अपनी बात कहने पर–घोर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर चलें और प्रश्न प्रहर होने दें । प्रश्न प्रहर माननीय सदस्यों के लिये बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिये इसमें व्यवधान न करें । जो माननीय सदस्य वेल पर खड़े होकर अपनी बात कह रहे हैं, उसे न तो लिखा जायेगा और न ही प्रकाशित किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी रहा)

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कोकब हमीद, श्री यशपाल आर्य, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री रामस्वरूप सिंह आदि माननीय सदस्यों के वेल में खड़े होकर तथा एक साथ अपनी बात कहने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने स्थान पर चले जायं । प्रश्न प्रहर बहुत महत्वपूर्ण प्रहर होता है । इसे पहले हो जाने दें । आप लोगों के सहयोग से ही मैं सदन चला पा रहा हूं । आशा करता हूं कि आप वैसा ही सहयोग मुझे देंगे ।

(श्री जगदम्बिका पाल जी अपने स्थान पर वापस चले गये परन्तु श्री नरेश अग्रवाल, श्री कोकब हमीद, श्री यशपाल आर्य, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री राम स्वरूप सिंह आदि माननीय सदस्य वेल पर ही खड़े रहे ।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके अपने-अपने स्थान पर चले जायं ।

सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड आन्दोलन के बारे में सी०बी०आई० की रिपोर्ट एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**1.–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के बारे में सी० बी० आई० की रिपोर्ट की ओर शासन का ध्यान गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां । उपरोक्त से संबंधित 4 मामलों की संस्तुतियां प्राप्त हुई । संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं :–

(1) सब इन्स० दाताराम आजाद

(2) कान्स० राम कुमार सिंह

(3) कान्स० गुलजारी सिंह

(4) कान्स० सत्यपाल सिंह

(5) कान्स० वीरेन्द्र सिंह

(6) सब इन्स० हरजीत सिंह चीमा

(7) कान्स० अंगन सिंह

(8) कान्स० वेद प्रकाश शास्त्री

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की संस्तुति के अनुरूप अभियोजन चलाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है :–

(1) थानाध्यक्ष बृज किशोर

(2) कान्सटेबिल अनिल कुमार

(3) कान्सटेबिल उमेश चन्द

(4) कान्सटेबिल कमल किशोर

(5) थानाध्यक्ष बृजेन्द्रपाल सिंह

(6) कान्सटेबिल बृजराज सिंह

(7) कान्सटेबिल सत्यपाल सिंह

(8) कान्स० ज्ञान चन्द

प्रदेश में स्थानान्तरण नीति की घोषणा एवं उसका अनुपालन

**2–श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्ष 1995-96 के स्थानान्तरण नीति की घोषणा कर दी गयी है ? क्या उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या पूर्व के स्थानान्तरणों में इसका अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

सुश्री मायावती–

जी हां ।

स्थानान्तरण नीति का अनुपालन करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 1994 में दिए गये हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

पूर्व में भी स्थानान्तरण नीति के संबंध में शासनादेश निर्गत किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत प्रशिक्षित दाइयों के वेतन में वृद्धि किये जाने की मांग

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत प्रशिक्षित दाइयों को मात्र 50 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो इस निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई में इतना अल्पवेतन दिये जाने का क्या औचित्य है ? यह वेतन निर्धारण पहली बार कब हुआ था ? वेतन में वृद्धि कितनी तथा कब से कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी नहीं, केवल भारत सरकार द्वारा पोषित उपकेन्द्रों पर ही रु० 50.00 प्रतिमाह मानदेय पर अंशकालिक दाइयां कार्यरत हैं । चूंकि अंशकालिक दाइयों को वेतन नहीं दिया जाता, केवल मानदेय दिया जाता है, अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ सत्र में खाद्यान्न उपज का लक्ष्य निर्धारित करने एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले उपाय

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान खरीफ सत्र में सरकार ने प्रदेश में खाद्यान्न उपज का लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कितने लाख टन तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

खरीफ, 1995 हेतु खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 154.50 लाख टन निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति इस वर्ष भू-जलवायु-वार खरीफ रणनीति निर्धारित कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित

किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

कृषि निवेशों की व्यवस्था हेतु विस्तृत योजना तैयार करके प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन आदि के वितरण हेतु सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण हेतु नमूनों का लक्ष्य तीन गुना कर दिया गया है ताकि आवश्यकतानुसार खेतों में उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। धान में खैरा रोग पर नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट के वितरण, धान की उपयुक्त प्रजातियों की समय से रोपाई तथा मक्का में खरपतवार को नष्ट करने हेतु रसायनों के छिड़काव पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी तरह धान, मूंगफली तथा सोयाबीन फसलों में एकीकृत नाशिजीवी प्रबन्ध प्रदर्शनों के तकनीक की जानकारी किसानों में कराने हेतु आई०पी०एम० प्रदर्शनों का आयोजन व्यापक स्तर पर कराने हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त फसलों में आशातीत वृद्धि हेतु जैविक उर्वरकों के प्रयोग की दिशा में राइजोवियम कल्चर तथा नील हरित शैवाल वितरण कार्यक्रम बनाया गया है। हरी खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (चावल आधारीय) का क्रियान्वयन भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के पूर्वी एवं केन्द्रीय संभाग में आरम्भ कर दिया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत चावल उत्पादन के साथ-साथ मक्का, ज्वार व बाजार के उत्पादन में भी वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा करने के लिए सघन अभियान चलाये जाने की मांग

*3-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा करने का सघन अभियान चलाने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत अभियान चलाने के विषय में शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जा चुका है और 1 मई, 1995 से 31 मई, 1995 तक की अवधि में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा करने का विशेष अभियान चलाया भी जा चुका है। पुनः 1-8-95 से एक और अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार दिनांक 16 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।

*1-श्री उदयभान सिंह-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर पता लगाये जाने एवं सुधार लाने हेतु सरकार की योजना

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर पता लगाये जाने तथा उनमें सुधार लाने की कोई योजना सरकार द्वारा लागू की गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो कब से वह योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री आर० के० चौधरी–

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी कोई योजना लागू नहीं की गयी है ।

योजना का परीक्षण किया जा रहा है ।

सिंचाई विभाग में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सर्वेयरों को अन्य विभाग में कार्यरत सर्वेयरों के वेतनमान के समान वेतन दिये जाने की मांग

*3–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सर्वेयरों को प्रदेश सरकार के अधीन अन्य विभागों जैसे भूतत्व खनिकर्म विभाग एवं सामाजिक वानिकी (वन विभाग) में सर्वेयरों के समान रु० 1350–2300 के वेतनमान के बराबर समान पद समान योग्यता समान कार्य की नीति के तहत कब तक शासनादेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सिंचाई विभाग में कार्यरत सर्वेयरों को समता समिति की संस्तुति के अनुसार दिनांक 1-1-86 से रु० 950–1500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था जो उन्हें निरन्तर प्राप्त हो रहा है । सर्वेयर के वेतनमान में विसंगति का प्रकरण अभी शासन में परीक्षणाधीन है ।

नहरों तथा रजबाहों की सफाई हेतु शासन की नीति एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किये जाने की मांग

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों तथा रजबाहों की सफाई हेतु शासन की नीति क्या है ? क्या इस नीति के अनुसार नहरों की सफाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या केवल कागजों पर नहरों/रजबाहों की सफाई करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सरकार ने दण्डित किया है ?

सुश्री मायावती–

नहरों तथा रजबाहों की सफाई का कार्य शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्रक्रिया के अनुसार यथा सम्भव श्रमिक मुखिया के माध्यम से करवाया जाता है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है । अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने पर विचार किये जाने की मांग

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री जी खाद की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

नियंत्रित रासायनिक उर्वरकों यथा यूरिया, जिंकटेड यूरिया, एनहाईड्स अमोनिया का अधिकतम विक्रय मूल्य तय करते हुए मूल्य उससे अधिक होने की सीमा तक अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।

अनियंत्रित उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फास्फेटिक एवं पोटासिक श्रेणी के कतिपय उर्वरकों पर तदर्थ अनुदान तथा प्रदेश सरकार ने उक्त श्रेणी के कतिपय उर्वरकों पर व्यापार-कर से छूट प्रदान की है ।

*6–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[मा० न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मा० न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

सहायक कृषि अभियन्ता, राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ द्वारा तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला

*8–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक कृषि अभियन्ता राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला, चिनहट, जनपद लखनऊ द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में वर्षवार कितने लोगों को दैनिक वेतन में चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी पदों पर स्थायी नियुक्त किया गया है ? क्या सहायक अभियन्ता राजकीय कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला चिनहट, लखनऊ को स्थाईकरण करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो किस नियम के तहत स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? क्या यह भी सही है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थाईकरण करने (नियमित) के संबंध में सीनियर कर्मचारियों को नजर अंदाज करके सहायक अभियन्ता द्वारा जूनियर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सीनियर कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

सहायक कृषि अभियन्ता, राजकीय कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला चिनहट लखनऊ द्वारा वर्ष 1989-90, 90-91 एवं वर्ष 1991-92 वर्षवार किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की चतुर्थ श्रेणी व तृतीय श्रेणी में कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा किसी भी कर्मचारी के स्थायीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत फोटो कापियर्स की मशीनों की खरीद में अनियमितता एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अन्तर्गत फोटो कापियर्स की मशीनों की खरीद में संस्थान की क्रय प्रक्रिया के अनुसार स्टोर एवं परचेज कमेटी द्वारा कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितनी फर्मों ने क्या-क्या रेट उक्त मशीनों के लिए कोटेशन के रूप में दिये थे तथा सबसे कम रेट किस फर्म का आया था ? क्या यह भी सत्य है कि इसमें खरीद के समय अनियमितता बरतते हुए लाखों रुपये की शासकीय धन का नुकसान पहुंचाया गया था ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित सामग्री उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत रेट कांट्रेक्ट पर क्रय की गयी है ।

चूंकि क्रय रेट कांट्रेक्ट के आधार पर किया गया है । अतः अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में विकास खण्डों में भूगर्भ जल स्तर नीचे जाने से रोकने के लिए शासन द्वारा किये जाने वाले उपाय

*10–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन विकास खण्डों में भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है और इस जल स्तर को नीचे जाने से रोकने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)–

संलग्न सूची में उल्लिखित प्रदेश के 98 विकास खण्डों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है ।

जल स्तर को नीचे जाने से रोकने हेतु सम्प्रति कोई उपाय नहीं किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृ० 106–107 पर)

जिला फैजाबाद में मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार कराने वाले मरीजों को बन्द पड़ी निःशुल्क भोजन व्यवस्था को लागू किये जाने की मांग

*11–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय, राजकीय महिला चिकित्सालय, अयोध्या नगर क्षेत्र के श्री राम चिकित्सालय, तुलसी महिला चिकित्सालय, संक्रामक रोग चिकित्सालय में भर्ती रहकर उपचार करने वाले गरीब मरीजों को चिकित्सालय की ओर से प्रदत्त निःशुल्क भोजन विगत 6 माह से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो मरीजों को भोजन दिये जाने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जिला चिकित्सालय फैजाबाद में भर्ती रोगियों को दिनांक 21-9-94 से 13-6-1995 तक निःशुल्क भोजन नहीं दिया गया । इसकी जांच करायी जा रही है ।

जिला महिला चिकित्सालय फैजाबाद में भर्ती इच्छुक रोगियों को निःशुल्क भोजन दिया गया ।

श्री राम चिकित्सालय अयोध्या फैजाबाद में भर्ती रोगियों को जनवरी, 1995 को छोड़कर शेष अवधि में निःशुल्क भोजन दिया गया ।

तुलसी महिला चिकित्सालय अयोध्या फैजाबाद में भर्ती मरीजों की संख्या शून्य होने के कारण निःशुल्क भोजन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

संक्रामक रोग चिकित्सालय अयोध्या में उल्टी एवं दस्त के मरीज भर्ती किये जाते हैं जिन्हें भोजन नहीं दिया जाता है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरी, वाराणसी के विस्तार एवं उपकरणों आदि की व्यवस्था

*12–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी ने निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, उत्तर प्रदेश को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौरी, वाराणसी के विस्तार के संबंध में 12 शैय्या महिलाओं एवं 13 शैय्या पुरुषों के वार्ड की स्थापना एवं उपकरणों आदि के बारे में अपने पत्र संख्या डी–11/79-82-538, दि० 13-5-81 के द्वारा विवरण भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

12 शैय्यायुक्त महिला एवं 13 शैय्यायुक्त पुरुष वार्ड की स्थापना हो गयी है । उपकरणों के विषय में अद्यावधिक स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*13–श्री राजाराम त्यागी–

[दि० 8-8-95 को ता० प्र० सं०–14 द्वारा उत्तरित ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति के मानक के संबंध में सरकार की योजना की जानकारी की मांग

*14–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में क्या कोई मानक हैं ? यदि हां, तो क्या मानक निर्धारण में चिकित्सक की शैक्षणिक योग्यता, सेवा अवधि आदि को भी ध्यान में रखा जाता है ? क्या चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति को आकर्षक बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या-क्या हैं ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रत्येक चिकित्साधिकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तीन वर्ष की सेवा आवश्यक है तथा जब तक ग्रामीण सेवा पूर्ण नहीं होती है, (कुछ विशिष्ट अर्हता वाले चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) प्रोन्नति नहीं दी जाती है ।

प्रत्येक चिकित्सक को रु० 100 प्रतिमाह ग्रामीण भत्ता प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है तथा स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु महानिदेशक स्तर से चयन समिति द्वारा चयनित चिकित्साधिकारियों को एक वर्ष का स्नातकोत्तर अध्ययन सरकारी व्यय पर कराने में वरीयता प्रदान की जाती है ।

कुमायूं मण्डल में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु जल संस्थान को उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं मरम्मत कार्य

*15–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु कुमायूं मण्डल में जल संस्थान को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? क्या इस धनराशि से कुमायूं मण्डल की समस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

रुपया 1.00 करोड़ ।

जी नहीं ।

वर्ष 1993 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्त पर 881.12 लाख रु० के व्यय का अनुमान था । कुमायूं जल संस्थान को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए स्वीकृत 1.00 करोड़ रु० के अतिरिक्त पेयजल योजनाओं के रख-रखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार/पुनर्गठन हेतु

वर्ष 1993-94 में 628.30 लाख रु०, वर्ष 1994-95 में 383.11 लाख रु० तथा वर्ष 1995-96 में अब तक 235.25 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस धनराशि से पूर्व में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1993 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की भी मरम्मत करायी जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० लखनऊ में आशुलिपिक संवर्ग एवं सांख्यकीय/अनुश्रवण प्रकोष्ठ में सृजित पद एवं संवर्गवार कर्मचारी एवं आरक्षित कोटे को पूरा कराये जाने की मांग

1–डा० मसूद अहमद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ० प्र० लखनऊ में आशुलिपिक संवर्ग एवं सांख्यकीय/अनुश्रवण प्रकोष्ठ में कौन-कौन से पद सृजित हैं ? सृजित पदों पर पदवार (पदोन्नतियों के पदों सहित) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के संवर्गवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन संवर्गों में आरक्षित कोटे को पूरा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

विवरण संलग्न है।

अंनुसूचित जाति के 06. अनुसचित जनजाति के शून्य एवं पिछड़े वर्ग के कुल 17 कर्मचारी कार्यरत हैं। पदवार विवरण संलग्नक में दर्शाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र सीधी भर्ती होने पर।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृ० 108–109 पर)

वाराणसी मण्डी में कार्यरत सचिव/कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से सुविधा शुल्क लेकर व्यापारियों को जारी गेटपास से हुई अवैधानिक आय की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग

2–डा० मसूद अहमद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी मण्डी में कार्यरत सचिव/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक व्यापारियों से रुपया 50 लेने के बाद गेटपास जारी किया जाता है तथा सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) श्री राजमंगल एवं भूतपूर्व उप निदेशक (प्रशासन) श्री ए० के० शाही को इस आय का 50 प्रतिशत दिया जाता है ? क्या यह सही है कि वाराणसी मण्डी में प्रत्येक दिन 100 से 125 गेटपास जारी किये जाते हैं ? क्या इस समय सम्भाग में 18 मण्डियां कार्यरत हैं जिससे सम्भागीय उप निदेशक (वाराणसी) को डेढ़

लाख से दो लाख तक की अवैधानिक आय प्रतिमाह होती है ? क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सी० आई० डी० जांच कराकर दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कृषि उत्पादों के बहिर्गमन के अनुसार ही गेटपास जारी किये जाते हैं जिनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नलकूप सहायकों का नियमितीकरण करने तथा पूरा वेतन दिये जाने की मांग

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप सहायक के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-5-94 द्वारा जिसमें नलकूप सहायकों को पूरा वेतन तथा नियमितीकरण करने हेतु कहा गया है, आज तक उस आदेश का परिपालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उनके नियमितीकरण तथा वेतन मसले को अविलम्ब लागू करने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

4–श्री राजाराम त्यागी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा डिड़ौहा, ब्लाक व तहसील सदर जनपद बस्ती के ग्राम बरगदवा व खोरा-खार के मध्य बस्ती–बांसी रोड को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

5–श्री छब्बू पटेल–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा डिड़ौहा ब्लाक व तहसील सदर जनपद बस्ती में ग्राम बरगदवा व खोरा-खार के मध्य में बस्ती–बांसी रोड से उक्त ग्राम सभा के अनुसूचित जातियों के निवास तक, पूरब की ओर पूर्व निर्मित खड़ंजा मार्ग जो मात्र 800 मीटर है, के केवल प्रारम्भिक 1/2 भाग को पिच रोड बनाने का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र तक उक्त खड़ंजा मार्ग को लेपन स्तर का न बनवाये जाने का क्या कारण है और कब तक उक्त मार्ग को पूर्ण रूप से लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैन सुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व० श्रीराम सिंह ड्राइवर कृषि रक्षा विभाग सहारनपुर के देय धनराशि को देने में हो रही अनियमितता एवं जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

6–श्री तीरथ राज–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि स्वर्गीय श्रीराम सिंह ड्राइवर, कृषि रक्षा विभाग, सहारनपुर के नाम से जमा धनराशि रु० 36,843.00 को उसके उत्तराधिकारियों में आधा-आधा दिये जाने के संबंध में जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या–497/स्था०–पें०–श्री राम सिंह/कृ०र०, दिनांक 7-7-89 द्वारा मांगा गया विवरण श्रीमती पुष्पादेवी ने दाखिल कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? क्या न्यायालय के आदेशानुसार श्रीमती पुष्पादेवी का उक्त धनराशि का आधा हिस्सा ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? उसका पूरा ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा में मण्डी समिति रौजा की अर्धनिर्मित सड़कों को पूर्ण कराये जाने की मांग

7–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा में मण्डी समिति रौजा की 5 अर्ध निर्मित सड़कें पड़ी हैं और इनमें केवल पत्थर बिछाया गया है ? क्या यह सही है कि पत्थर पर ठेकेदार व अधिकारी रोलर इसलिये नहीं चलवाते हैं कि उनका पैसा बचता है ? क्या जनहित में इन सड़कों को शीघ्र पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन लोगों की लापरवाही के कारण इन सड़कों का निर्माण रुका है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती–

पांच (5) नहीं अपितु 02 मार्गों का निर्माण कार्य अपूर्ण है । तीन मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष दो मार्गों पर पत्थर बिछाने के उपरान्त कुटाई का भी कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्षा ऋतु के प्रारम्भ हो जाने के कारण प्रीमिक्सिंग का कार्य अभी शुरू नहीं कराया जा सका है ।

जी नहीं । यह बात सत्य नहीं है क्योंकि पत्थर बिछाने के उपरान्त कुटाई का कार्य रोलर द्वारा आवश्यक रूप से कराया जाता है ।

जी हां ।

वर्षा ऋतु समाप्त होने के उपरान्त प्रीमिक्सिंग का कार्य प्रारम्भ कराकर मार्गों का निर्माण पूर्ण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लापरवाही के कारण नहीं बल्कि मैक्सफाल्ट, डीजल एवं धन की कमी के कारण उक्त मार्ग समय से पूर्ण नहीं हो सके हैं ।

जनपद फतेहपुर में जरौली पम्प कैनाल योजना को पूर्ण किये जाने की मांग

8–श्री मुरलीधर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में जरौली पम्प कैनाल योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत है ? अब तक कितनी खर्च की जा चुकी है ? कितने समय में उक्त योजना पूर्ण हो जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जनपद फतेहपुर में जरौली पम्प कैनाल योजना स्वीकृत हेतु केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन है ।

रुपया 2754.55 लाख की परियोजना वर्ष 1993 में केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है ।

मार्च, 1995 तक रु० 241.40 लाख कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं ।

परियोजना प्राक्कलन के अनुसार इस योजना को वर्ष 1999–2000 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज में प्रस्तावित दस लाख कुंओं की योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच एवं दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज में वित्तीय वर्ष 1991-92 में "दस लाख कुआं योजनान्तर्गत" कराये गये कार्यों की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) लखनऊ द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो इस जांच में कौन-कौन अधिकरी/कर्मचारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी को शासन द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई । शेष कार्य प्रभारियों एवं सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1994-95 में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल बजट व्यय किये गये प्रतिशत की जानकारी

10-श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया गया ? प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में वेतन व भत्ते आदि पर कुल कितना तथा दवाइयों एवं उपकरणों की खरीद पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया है ?

श्री आर० के० चौधरी–

वर्ष 1994-95 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कुल बजट का 3.79 प्रतिशत प्राविधान था, जिसमें से कुल बजट का वेतन-भत्ते मदों आदि हेतु 3.58 प्रतिशत, औषधियों के क्रय हेतु 0.18 प्रतिशत एवं उपकरणों के क्रय हेतु 0.033 प्रतिशत प्राविधान था।

प्रश्नगत अवधि के व्यय के सत्यापित आंकड़े महालेखाकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

11–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[मा० न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजस्व ग्राम सभा रामपुर हिरामन, विकास क्षेत्र देसही देवरिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण

12–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्रामसभा रामपुर हिरामन, विकास क्षेत्र देसही देवरिया तहसील व जनपद देवरिया के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 व 1994-95 में अलग-अलग कुल कितनी-कितनी धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत की गयी है ? उसमें कौन-कौन सा कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि मौके पर कार्य नहीं कराया गया है ? क्या जांचोपरान्त सम्बन्धित धन की वापसी हेतु शासन स्तर से आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

राजस्व ग्रामसभा रामपुर हिरामन विकास क्षेत्र देसही देवरिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में रु० 26337.00 व 1994-95 में रु० 21071.00 कुल 47408.00 रुपये की धनराशि निर्गत की गयी है।

संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराया गया।

मौके पर कार्य कराया गया है। भौतिक सत्यापन में कार्य सही पाया गया है। अतः शासन द्वारा धन वापसी हेतु आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी ग आगे पृ० 110 पर)

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में त्रिवेदी रोड विकास खेड़ा अम्बेडकर आदि ग्रामों का सुन्दरीकरण

13–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़-त्रिवेदी रोड, विकास खेड़ा अम्बेडकर आदि ग्रामों के सुन्दरीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में त्रिवेदी रोड, विकास खेड़ा अम्बेडकर नामक कोई ग्राम नहीं है और न ही सुन्दरीकरण की कोई योजना प्रस्तावित है।

14-श्री जमुना प्रसाद मिश्र-

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

लखनऊ खण्ड द्वितीय शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत भैसाकुण्ड स्थित कालोनी में अवैध रूप से काबिज अधिकारियों/कर्मचारियों का हटाये जाने की मांग

15-श्री महावीर सिंह (बिजनौर)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड द्वितीय शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत भैसाकुण्ड स्थित कालोनी के कुछ आवासों पर वर्तमान समय में ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों का कब्जा है, जिनकी तैनाती मुख्यालय, लखनऊ के बाहर हैं और कुछ आवासों पर ठेकेदार व विभाग में कार्य न करने वाले व्यक्तियों का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध आवास खाली कराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमानुसार दण्डात्मक दर पर किराया वसूली की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबेरली जनपद के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछरावां के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० एस० के० कपूर व अन्य के विरुद्ध गम्भीर शिकायत की जांच की जानकारी

16-श्री राजाराम त्यागी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछरावां के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० एस० के० कपूर व अन्य के विरुद्ध किसी गम्भीर शिकायत की जांच विचाराधीन है ? क्या बछरावां मण्डल के भाजपा के अध्यक्ष श्री कृष्णाकान्त द्विवेदी की शिकायत पर मुख्य चिकित्सधिकारी, रायबरेली के पत्र सं० एस० टी०/कैम्प/बछरावां/93, 12335, दिनांक 18-10-1993 द्वारा कोई जांच हुई है ? उक्त जांच में अब-तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी-

जी हां ।

श्री कृष्णाकान्त द्विवेदी का पत्र दिनांक 10-8-92 प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच के आदेश दिए जा चुके है ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं० 98 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई खण्ड गोण्डा में डी०पी०ए०पी० योजना से पहाड़ी नालों पर चेकडेम निर्माण हेतु खर्च की गई धनराशि का विवरण

18-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1989 तक सिंचाई खण्ड गोण्डा को कितनी धनराशि डी०पी०ए०पी० योजना से पहाड़ी नालों पर चेकडेम निर्माण हेतु किन-किन नालों पर किस-किस कार्य हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी और किस-किस चेकडम पर जस्बा बोल्डर का पिचिंग का कार्य कराया गया ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि गुणवत्ता के आधार पर कार्य नहीं कराया गया और आज भी सभी चेकडेम अधूरे पड़े हैं ? क्या माह जनवरी, 1994 से 15 जून, 1994 तक कई सौ ट्रक डरवा बोल्डर रामनगर चेकडेम से अवर अभियन्ता ने ठेकेदार को चोरी से विक्रय कर दिया ? यदि हां, तो सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1985 से 1989 तक सिंचाई खण्ड, गोण्डा में डी०पी०ए०पी० योजना से 7 पहाड़ी नालों पर 15 चेक डैमों के निर्माण हेतु 71.29 लाख रुपये निम्नानुसार व्यय किये गये :-

नाले का नाम	चैकडैम का नाम	व्यय धनराशि लाख रुपये में
1-बरनी नाला	1-गनवरिया	3.25
	2-ठकुरापुर	2.77
	3-नरायनपुर	4.52
2-दधिवा नाला	1-रामनगर	6.71
	2-शिवपुर भगवानपुर	6.52
3-कटहा नाला	1-लैदुइवा	6.63
4-सिरसिया नाला	1-भगवानपुर	13.50
	2-पिपरे हवा	9.39
5-बहदिनवा नाला	1-लखौरा	2.68
	2-बलुवा	—
6-डोरवा	1-भरहापार	4.16
	2-मंगरारकोल्ल	3.48
	3-बिशुनपुर कला	4.95
	4-मदारगढ़	—
7-सोहानी	1-मोतीपुर	2.73
		योग-71.29

गनवरिया, नारायनपुर, लखौरां, मगराकोहल पर जरवा बोल्डर का पिचिंग का कार्य कराया गया।

कार्य गुणवत्ता के आधार पर कराया गया है। मात्र तीन चैकडैम मोतीपुर, शिवपुर भगवानपुर एवं रामनगर के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं।

इस अवधि में चोरी से विक्रय होने की कोई सूचना नहीं है परन्तु रामनगर चैकडैम पर रखे बोल्डर का भौतिक सत्यापन कराने पर 633.869 घनमीटर बोल्डर के स्थान पर 135.132 घनमीटर बौल्डर पाया गया।

भौतिक सत्यापन के समय 498.737 घनमीटर बोल्डर की कमी के विरुद्ध श्री मो० अयूब खां, अवर अभियन्ता के विरुद्ध पत्थर की लागत 1,24,684.25 रुपये अग्रिम प्रकीर्ण डाले दिया गया है तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जनपद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की जानकारी

19–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या-क्या व्यवस्था है ? उक्त सेवाओं में लगे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन में भत्ते, दवाइयों की खरीद तथा उपकरणों की खरीद पर व वर्ष 1994-95 में किये गये व्यय का विवरण क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित राजकीय चिकत्सालयों द्वारा जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है :–

शहरी क्षेत्र:–

1–जिला एम०एम०जी० चिकित्सालय	156	शैय्या
2–जिला महिला चिकित्सालय	63	,,
3–प्रसवोत्तर सेवाएं हेतु	06	,,
4–टी०बी० क्लीनिक	24	,,

ग्रामीण क्षेत्र :–

1–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–6	180	,,
2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–58	232	,,
3–महिला चिकित्सालय–3	18	,,

उक्त चिकित्सालयों में वर्ष 1994-95 में विभिन्न मदों में व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

मद	व्यय की गयी धनराशि (रुपये में)
1–वेतन व भत्ते	3,44,51,704.00
2–दवाइयों की खरीद	37,09,466.00
3–उपकरणों की खरीद	86,838.27

20–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

21–श्री तेजमान सिंह–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं० 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुसंधान परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर तथा अन्य कृषि यन्त्र शोध संस्थाओं द्वारा विकसित किये गये चयनित कृषि यंत्रों का सघन फील्ड परीक्षण करने के उद्देश्य की जानकारी

22–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–ई-4981/XII-107/64. दिनांक 25-11-1964 द्वारा स्वीकृत चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर चल रही चयनित कृषि यंत्रों की सघन फील्ड परीक्षण योजना किस उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थी ? क्या यह संही है कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के विपरीत योजना में नियुक्त सभी प्राविधिक सहायकों को पिछले कई वर्षों से कानपुर में ही पदास्थित कर रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? पिछले 10 वर्षों में इस योजना पर वेतन तथा भत्ते की मद में वर्षवार कुल कितना व्यय हुआ तथा इस अवधि में योजना में क्या कार्य हुआ ?

सुश्री मायावती–

अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर तथा अन्य कृषि यंत्र शोध संस्थाओं द्वारा विकसित किये गये चयनित कृषि यंत्रों का सघन फील्ड परीक्षण करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।

विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राविधिक सहायकों से योजना का कार्य कानपुर में ही पदस्थापित कर सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्षवार व्यय निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	वेतन व भत्ते मद में व्यय धनराशि
1985-86	2.72.331.20
1986-87	2.50.922.35
1987-88	2.63.655.25
1988-89	2..72.161.90
1989-90	3.65.059.90
1990-91	7.74.869.70
1991-92	5.06.728.90
1992-93	5.52.711.40
1993-94	4.24.475.50
1994-95	7.40.469.00
	43.23.388.10

इस योजना में निम्नलिखित कार्य हुए :—

(1) कृषि यंत्रों का परीक्षण एवं प्रदर्शन कार्य ।

(2) कृषकों, कृषि वैज्ञानिकों, बैंक कर्मियों आदि का प्रशिक्षण ।

(3) कृषि सर्वेक्षण कार्य ।

(4) प्रदर्शनी एवं गोष्ठियों का आयोजन ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में लम्बे समय से एक विभाग से दूसरे विभाग में सम्बद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या एवं कारणों की जानकारी

23–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में एक विभाग से दूसरे विभाग में कुल कितने कर्मचारी एवं अधिकारी सम्बद्ध होकर कार्यरत हैं? क्या सम्बद्ध कर्मचारी एवं अधिकारी की अपने मूल विभाग में आवश्यकता नहीं है ? क्या यह सही है कि लम्बी अवधि से सम्बद्ध होने के कारण मूल विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

विश्वविद्यालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में सम्बद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या–55 है ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों/विभागों में पद रिक्त होने पर कार्य प्रभावित न हो, इसलिये दूसरे विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को सम्बद्ध किया जाता है । मूल विभाग का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिये उस विभाग में उपलब्ध कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त सम्बद्ध किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों का भी कार्य देखने की व्यवस्था की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा से सिंचाई खण्ड गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना से प्राप्त धन एवं उसके उपभोग की जानकारी

24–श्री घनश्याम शुक्ल–

ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा से सिंचाई खण्ड गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दिनांक 1 जुलाई, 1994 से दिनांक 2-5-95 तक प्राप्त हुई है ? किस-किस उपखण्ड में कौन-कौन सा कार्य कराया गया है ? क्या सरकार कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी और दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजसुख भारती–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा 1 जुलाई, 1994 से 2-5-95 तक सिंचाई खण्ड, गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना/दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत रु० 8.611 लाख तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 11.500 लाख अवमुक्त किया गया है ।

कराये गये कार्य का उपखण्डवार विवरण संलग्न है ।

कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है । कार्य सन्तोषजनक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 111-112 पर)

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन की टी० ए० सी० से जांच कराने की मांग

25-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद गोण्डा से कितनी धनराशि दिनांक 1 जुलाई, 1994 से आज तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोण्डा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत किस-किस विकास खण्ड में किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गयी है ? क्या मानक के अनुसार कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भौतिक सत्यापन टी० ए० सी० से कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोण्डा को दिनांक 1-7-94 से 30-6-95 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 37.491 लाख तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रुपये 103.899 लाख आवंटित किया गया है जिसकी विकास खण्डवार स्थिति संलग्न है ।†

टी० ए० सी० जांच कराये जाने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज तहसील पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित स्टाप की नियुक्ति का मामला

26-श्री राजाराम त्यागी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज तहसील मुख्यालय पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित चिकित्सकों, फार्मेसिस्टों, स्टाफ नर्स तथा वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति है ? उक्त तीस शैय्या वाले चिकित्सालय परिसर में क्या कोई चिकित्सक निवास नहीं करता है ? क्या इस कारण आपातकालीन मरीजों की मृत्यु दूसरे स्थान पर रह रहे चिकित्सक के बुलाने के पूर्व ही हो जाती है ? क्या सम्पूर्ण वांछित स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी और चिकित्साधिकारी को अपने परिसर में ही निवास करने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी-

प्रश्नगत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ नियुक्ति है ।

पुराने भवन परिसर में बने चिकित्सक आवास पर चिकित्सक निवास करते हैं जो लगभग एक कि०मी० की दूरी पर है ।

आपातकालीन रोगियों की चिकित्सा हेतु चिकित्सक तैनात रहते हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग एवं भल्लेगांव में भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवनों की क्षतिपूर्ति दिये जाने की मांग

27-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में रा० इं० का० पोखरी, पकोट, चाका, भरपूर, भल्लेगांव, थातीडागर, आंछरी खून्ट, सौराखाल, बूढ़ना, लस्या, घेघडखाल, डांगी नैलचामी ठेला नैलचामी, घन्डियालधार नैलचामी, देवप्रयाग के भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त हुए हैं ? यदि हां, तो

---

† छापा नहीं गया ।

क्या सरकार ने भूकम्प क्षतिग्रस्त भवनों के मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त कालेजों के भवनों की मरम्मत आज तक नहीं की गयी है ? क्या सरकार उक्त सभी भूकम्प से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक उक्त भवनों की मरम्मत होगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

देव प्रयाग एवं भल्लेगांव के भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हैं ।

जी हां ।

औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम वरीयताक्रम के विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

भल्लेगांव व देवप्रयाग के भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हैं । प्रथम वरीयता के भवन निर्माण होने के पश्चात् शेष के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, डांगी नैलचामी, टिहरी गढ़वाल के स्वीकृत भवन निर्माण किये जाने की मांग

28–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, डांगी नैलचामी, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु जनता ने भूमि उपलब्ध करा दी है ? लोक निर्माण विभाग, धनसाली, टिहरी गढ़वाल ने उक्त अस्पताल के भवन का आगणन कब तैयार कर शासन को भेजा था ? क्या कारण है कि अभी तक सरकार ने उक्त अस्पताल के भवन निर्माण कराने हेतु धन उपलब्ध नहीं कराया है ? क्या सरकार इस अस्पताल के भवन का निर्माण कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के मूलगढ़ थाती, लक्ष्मोली, जामनीखाल में वाहन मार्ग बनाने की मांग

29–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में मूलगढ़, थाती, लक्ष्मोली, जामनीखाल हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कार्य कितनी वन भूमि के कारण अपूर्ण पड़ा है ? क्या कारण है कि लम्बे अर्से से हल्का वाहन मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इन मार्गों का निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मार्गों के संरेखण में कुल 3.838 हे० वन भूमि के कारण कार्य अपूर्ण है ।

मूलगढ़ थाती हल्का वाहन मार्ग की वनभूमि प्राप्त करने के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए अन्तिम रूप से दिनांक 12-7-93 को भारत सरकार को भेजा जा चुका है जो अभी तक लम्बित है । लक्ष्मोली जामनीखाल हल्का वाहन मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1994 में प्राप्त हो चुकी है ।

जी हां ।

मूलगढ़ थाती हल्का वाहन मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात् तथा लक्ष्मोली जामनीखाल हल्का वाहन मार्ग की भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त अपूर्ण मार्गों का निर्माण कराया जायेगा।

धारी सिंचाई नहर, विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल को पूर्ण किये जाने की मांग

30–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धारी सिंचाई नहर, वि० खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल कब से निर्माणाधीन है ? क्या यह नहर अधूरी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इस नहर को पूर्ण नहीं किया जा रहा है ? इस नहर पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? इस नहर के निर्माण से कितनी भूमि की सिंचाई हो रही है ? क्या सरकार इस नहर निर्माण को पूर्ण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

10.00 कि०मी० लम्बाई में प्रस्तावित धारी सिंचाई नहर विकास खण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल वर्ष 1980-81 से निर्माणाधीन है।

जी हां।

वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के हस्तान्तरण के अभाव में नहर का शेष कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

इस नहर पर रु० 33.903 लाख व्यय हो चुके हैं।

अब तक लगभग 2 कि०मी० लम्बाई में निर्मित इस नहर से प्रतिवर्ष लगभग 4 हेक्टेयर भूमि की सींच हो रही है।

जी हां।

वन भूमि उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र नहर का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा आर० एल० जी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत ठूठीबारी बांध का निर्माण एवं भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किये जाने की मांग

31–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा ठूठीबारी का टोला धरमौली, लोहरौनी, किशनपुर, सोबड़ा आदि ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये बाढ़ खण्ड गोरखपुर द्वारा वर्ष 1984-85 में तटबंध का निर्माण कराने की योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसानों की भूमि को बिना अधिग्रहीत किये ही तटबन्ध का निर्माण कराया गया है ? क्या भूमि स्वामियों की निरन्तर मांग पर भी भूमि के मुआवजा का वितरण आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम सभा–ठूठीबारी के टोला धरमौली, सोहरौनी, किशुनपुर, सोवड़ा आदि ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये वर्ष 1984-85 में नहीं अपितु वर्ष 1985-86 में ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा आर० एल० जी० ई०पी० योजना के अन्तर्गत ठूठीबारी बांध का निर्माण कराया गया है जिसके लिये भूमिस्वामियों द्वारा कार्य की आकस्मिकता को देखते हुए भू-प्रतिकर प्राप्ति की प्रत्याशा में स्वयं उपलब्ध कराई थी।

उक्त परियोजना की स्वीकृति में भू-प्रतिकर हेतु रु० 11.8 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके विरुद्ध धनावंटन होने पर भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

32–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

33–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान समय में डाक्टर नहीं हैं ? क्या रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

गोण्डा जनपद के 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई भी चिकित्सा अधिकारी तैनात नहीं है।

चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर निर्भर है। आयोग को इस हेतु अधियाचन भेजा गया है।

जनपद गोण्डा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग मे आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखे जाने के कारण सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच कराकर दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग

34–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कितने वर्कचार्ज कर्मचारी/मस्टर रोल/मेट कार्य कर रहे हैं ? क्या इतने लोगों की आवश्यकता है ? यदि नहीं, तो इतने लोगों को काम पर क्यों रखा गया है ? यदि आवश्यकता है तो इनसे क्या-क्या कार्य लिये गये ? क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा में वर्कचार्ज/मस्टर रोल में 27 कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग में मेट का पद स्वीकृत नहीं है, अतः मेट के पद पर कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रखण्ड गोण्डा में चल रहे निर्माण कार्यों के संचालन के लिये समय-समय पर वर्कचार्ज/मस्टर रोल में इन्हें रखा जाता है तथा निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् इन्हें कार्य से पृथक कर दिया जाता है।

निर्माण कार्यों में [illegible] मस्टर रोल [illegible] पर रखा गया है अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल ग्राम सभा ग्वीन बड़ा, ब्लाक द्वारीखाल में त्रुटिपूर्ण पेयजल योजना की तकनीकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग

35–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, ग्राम सभा ग्वीन बड़ा ब्लाक द्वारीखाल में पेयजल योजना पर कार्य पूर्णरूप से त्रुटिपूर्ण किया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाये गये सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजनान्तर्गत कराये गये कार्य तकनीकी रूप से ठीक हैं ।

36–37–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं० 89-90 द्वारा उत्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक एकेश्वर के अन्तर्गत किर्खू से थापला मार्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कराये जाने की मांग

38–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक एकेश्वर के अन्तर्गत किर्खू से थापला मल्ला तक वर्ष 1992 में जिला परिषद् पौड़ी से अश्व मार्ग हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी क्या उक्त योजना पर पूर्णतः त्रुटिपूर्ण कार्य किया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाये गये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक एकेश्वर के अन्तगत किर्खू से थापला तक 3 किलोमीटर मार्ग की मरम्मत हेतु जिला पंचायत पौड़ी द्वारा रु० 28.980 का आगणन वर्ष 1992 में स्वीकृत किया गया था जिसके विपरीत रु० 26.485 का भुगतान जिला पंचायत पौड़ी के स्तर से किया गया । इस मार्ग पर त्रुटिपूर्ण कार्य कराये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उटता है ।

रानीखेत में देवीडूंगा पेयजल योजना हेतु मुख्य मंत्री द्वारा धन की घोषणा एवं इस योजना पर कार्य न होने के कारण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

39–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके द्वारा दिनांक 19 जून, 1994 को रानीखेत में जनता के समक्ष देवीडूंगा पेयजल योजना के लिये 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो इस पेयजल योजना पर कार्य आज तक न होने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

देवीडूंगा पेयजल योजना के रु० 1.587 करोड़ के आगणनों पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था । व्यय वित्त समिति ने दिनांक 7 जून, 1995 को उक्त आगणनों पर विचारोपरान्त 137.15 लाख रु० के आगणनों पर अनुमोदन प्रदान किया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 80.00 लाख रु० की धनराशि देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी समूह पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने की मांग

40–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा–मसूरी पल पट्टी समूह पेयजल योजना, लागत रु० 10.72 करोड़ शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

उपरोक्तानुसार ।

सेवानिवृत्त श्री उमाशंकर लाल, खण्ड विकास अधिकारी, गगहा, गोरखपुर के लम्बित पेंशन प्रकरण को निस्तारित किये जाने की मांग

41–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1993-94 में प्रदेश में कितने खण्ड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए ? क्या प्रश्नगत अवधि में सभी सेवानिवृत्त खण्ड विकास अधिकारियों की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है, जिसमें श्री उमाशंकर लाल खण्ड विकास अधिकारी, गगहा, गोरखपुर भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत अवधि के लम्बित पेंशन प्रकरण कब तक निस्तारित हो जायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में प्रदेश मे कुल 83 खण्ड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए ।

जिन खण्ड विकास अधिकारियों के अदेयता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी वांछित अभिलेख पूर्ण थे उनकी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें श्री उमाशंकर लाल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगहा, गोरखपुर भी सम्मिलित हैं ।

पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समस्त अभिलेखों के पूर्ण होने तथा अनुशासनिक जांच के बाद ही होता है । इसके निस्तारण में निश्चित समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक पोखड़ा में क्षतिग्रस्त लूका पेयजल योजना को धन स्वीकृत किये जाने की मांग

42–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक पोखड़ा में लूका पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है जिससे कि पट्टी पिगलापाखा को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त योजना के लिये धन स्वीकृत करेगी तथा उक्त योजना की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । लूका पेयजल योजना में पट्टी पिगलापाखा के 5 ग्रामों में से 3 ग्रामों में पानी चल रहा है तथा 2 ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है ।

पेयजल योजना का जीर्णोद्धार एवं पुनर्गठन आवश्यक है । तत्संबंधी प्रस्ताव जल निगम से प्राप्त होने पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा । उक्त स्थिति में तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

43–श्री हरक सिंह रावत–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं०–92 द्वारा उत्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ब्लाक एकेश्वर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बडोली से रैसोली तक बने त्रुटिपूर्ण मार्ग की तकनीकी जांच कराये जाने की मांग

44–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक एकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बड़ोली से रैसोली तक जीप मार्ग पर कार्य त्रुटिपूर्ण किया गया है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की तकनीकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है । कार्य अभी अधूरा है अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रपड़ा तथा टाटराबाद में पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 12-5-94 को या इसके आस-पास जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रपड़ा तथा टाटराबाद में पुलिया का निर्माण कराने के संबंध में दिया था, प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को पुलिया निर्माण कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़ मे घोषित अम्बेडकर गांवों की संख्या एवं उनके विकास की योजना

46–श्री राजाराम त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़ में कितने अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? क्या उक्त ग्रामों के विकास किये जाने की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज में 13, बछरावां में 25 तथा शिवगढ़ में 10 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ।

उक्त ग्रामों के विकास हेतु निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेम योजना, मुख्य मार्गों को सड़क से जोड़ना, खड़ंजे एवं नाली निर्माण, आवास योजना (निर्बल)/इन्दिरा आवास, हैण्डपम्प प्राइमरी पाठशाला, विद्युतीकरण, टीकाकरण, पशुओं का टीकाकरण, बाल विकास योजना, 10 लाख कूप योजना, कृत्रिम गर्भाधान, स्वच्छ शौचालय की योजनायें पूर्व से ही लागू हैं।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत शिवगढ़ विकास खण्ड में कार्यरत प्रा० स्वा० केन्द्र को सुविधाएं प्रदान किये जाने की मांग

47–श्री राजाराम त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदै रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत शिवगढ़ विकास खण्ड में कोई प्रा० स्वा० केन्द्र कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या उसमें प्रा० स्वा० केन्द्र की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसे पूर्ण प्रा० स्वा० केन्द्र का दर्जा दे दिया जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां।

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरेथुआ अक्टूबर, 1991 से क्रियाशील है। प्रा० स्वा० केन्द्र देहली मार्च, 1989 से तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगढ़ सितम्बर, 1985 से क्रियाशील है। इन सभी केन्द्रों पर जब से यह क्रियाशील हुए हैं, मानक के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज, बछरावां व शिवगढ़ में सार्वजनिक खेलकूद के मद की धनराशि को बी० ओ० पी० आर० डी० तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हड़पने विषयक जांच एवं कार्यवाही

48–श्री राजाराम त्यागी–

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये रायबरेली जनपद में खेलकूद के कार्यक्रम युवा कल्याण द्वारा कराये जाते हैं ? क्या यह भी जानकारी है कि रायबरेली जनपद के विकास खण्ड महराजगंज, बछरावां व शिवगढ़ में वर्ष 1992-93 व 93-94 में कोई सार्वजनिक खेलकूद के कार्यक्रम विकास खण्ड द्वारा आयोजित नहीं किये गये तथा इस मद की धनराशि बी० ओ० पी० आर० डी० तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हड़प ली गयी है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

तीनों विकास खण्ड में खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

इस मद की धनराशि खेलकूद के आयोजन में ही व्यय की गयी थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

49–श्री राजाराम त्यागी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

50–श्री घनश्याम शुक्ल–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

एलोपैथिक दवाओं के लिये गये सैम्पुल एवं परीक्षणोपरान्त कृत कार्यवाही

51–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994 में एलोपैथिक दवाओं के कुल कितने सैम्पुल लिये गये और उसमें से कितनों का परीक्षण हुआ और परीक्षणोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

वर्ष 1994 में एलोपैथिक दवाओं के कुल 2220 सैम्पुल लिये गये तथा उनमें से 373 नमूनों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में जो नमूने नकली/अधोमानक के पाये गये, उन पर यथास्थिति संबंधित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को कार्यवाही करने/न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने/अनुज्ञप्ति निरस्त करने/दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये।

52–श्री सतीश भाटिया–

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं० 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कतिपय आबकारी पदार्थों पर लगाया गया नियंत्रण

53–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एलोपैथिक दवा, टिंचर, आयोडिन आई० पी०, स्प्रिट, क्लोरोफार्म आई० पी०, अमोनिया, आरमेट, आई० पी० तथा टिंचर अर्जीनिया आई० पी० के निर्माण तथा बिक्री पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो शासनादेश क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

द ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 और उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यू० पी० आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत 14 सितम्बर, 1978. 2 दिसम्बर, 1985. 29 जनवरी, 1991. और 30 जनवरी, 1991 को अधिसूचना जारी करके उसमें उल्लिखित कतिपय आबकारी पदार्थों पर नियंत्रण लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में तहसील रानीखेत व भिकियासैंण की ठप्प पड़ी पेयजल योजनाओं की मरम्मत कराये जाने की मांग

54–श्री बची सिंह रावत–

क्या मा० मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में तहसील रानीखेत व भिकियासैंण की पेयजल योजनाओं में से अधिकांश ठप्प पड़ी हुई हैं ? क्या इन योजनाओं की मरम्मत करके जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कुल 552 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से 394 योजनाएं पूर्ण रूप से चालू हैं, 64 पेयजल योजनायें आंशिक रूप से चालू हैं तथा 94 पेयजल योजनायें बन्द हैं ।

जी हां ।

समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

जौनपुर के केराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण चालू वर्ष में किये जाने की मांग

55–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले के केराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु कुछ धन विगत वर्ष शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो वह धन कितना है ? क्या मंत्री जी जौनपुर के केराकत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण चालू वर्ष में कराने का निर्देश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आर० के० चौधरी–

विगत वर्षों में उक्त कार्य हेतु रु० 55.10.000 (रु० पचपन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है । निर्माण कार्य हेतु आवश्यक निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं । जहां तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न है, वह भूमि की व्यवस्था/उपलब्धता पर निर्भर है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री घनश्याम शुक्ल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत नियत वेतन कर्मचारियों के वेतन को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में कार्यवाही

57–श्री महेश चन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत नियत वेतन कर्मचारियों के वेतन को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1187 सेक–15/पांच–9(सी)/81 दिनांक 25/26 अगस्त, 1987 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या–एम० एल० ए०–23 सेक–15/5–93–312/88. दिनांक 17/20 जुलाई, 1993 में वांछित आख्या संस्तुति निदेशक होम्योपैथी से शासन को कब प्राप्त हुयी थी ? निदेशक होम्योपैथी की आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? इन कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संदर्भित पत्रों पर निदेशक, होम्योपैथी से अभी तक आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोस्टा जाति को उ० प्र० की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

58–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोस्टा जाति को उ० प्र० की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-95 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं०–28 द्वारा उत्तरित]

जनपद टिहरी गढ़वाल में रणधार बदाणी मोटर मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग

60–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रणधार बादाणी मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल कब से अपूर्ण है ? इस मार्ग के निर्माण में कितनी वन भूमि पड़ रही है ? क्या वन भूमि के आगे एवं पीछे मोटर मार्ग का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो मात्र 250 मीटर वन भूमि के लिये मोटर मार्ग का निर्माण रोकने का क्या औचित्य है ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मोटर मार्ग वर्ष 1993 से अपूर्ण है ।

1.925 हेक्टेयर ।

जी हां ।

मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि का प्राप्त न होना ।

मार्ग की वनभूमि प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जायेगा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुलाणाखाल टिहरी गढ़वाल हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण

61–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुलाणाखाल टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं लोक नि० वि० टिहरी गढ़वाल ने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि दे दी थी ? क्या कारण है कि फिर वन भूमि का हस्तान्तरण उक्त भवन हेतु नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार वन भूमि हस्तान्तरण पर विचार कर रही है ?

सुश्री मायावती–

स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि दी गई थी, परन्तु वन विभाग द्वारा उसे लौटा दिया गया ।

औपचारिकतायें पूर्ण न हो पाने के कारण अभी तक भूमि का हस्तान्तरण भवन हेतु नहीं किया जा सका है ।

जी हां ।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत महराजगंज विकास खण्ड के घुरौना ग्राम में कार्यरत एलौपैथिक डिस्पेन्सरी के लिये अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

62–श्री राजाराम त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज विकास खण्ड के घुरौना ग्राम में पिछले बीस वर्षों से एक एलौपैथिक डिस्पेन्सरी कार्यरत है ? क्या उक्त डिस्पेन्सरी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है और केवल स्वीपर ही बैठता है ? क्या उक्त डिस्पेन्सरी पर सुचारु रूप से चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को कार्य करने का आदेश दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

ऐसे आदेश पूर्व में ही दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मूलगढ़ थाती हल्का वाहन मार्ग के निर्माण को रोके जाने के कारण की जानकारी

63–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूलगढ़ थाती हल्का वाहन मार्ग में बाधक पेड़ों को जनता द्वारा काटे जाने पर भी इस मार्ग के निर्माण को रोके जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि 250 मीटर वन भूमि से आगे 3 कि० मी० मोटर मार्ग बनाया जा चुका है ? यदि हां, तो फिर 250 मीटर में वन भूमि की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित न होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य रुका है ।

जी हां ।

वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम बार दिनांक 12-7-93 को प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है जो उनके स्तर पर लम्बित है ।

कोटबांगर रणधार बदाणीताल मोटर मार्ग के निर्माण कै कार्य को रोके जाने के कारण की जानकारी

64–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटबांगर रणधार बदाणी ताल मोटर मार्ग में बाधक 200 मीटर वन भूमि में कितने पेड़ आ रहे हैं ? क्या 200 मीटर वन भूमि से आगे मोटर मार्ग बन चुका है ? यदि हां, तो अब इस मार्ग के निर्माण को रोकने का क्या औचित्य है ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत 200 मीटर में कुल 15 पेड़ आ रहे हैं ।

जी नहीं, केवल 500 मीटर पर पहाड़ कटान कार्य किया गया है ।

वनभूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण कार्य रुका है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में तिलवाड़ा सौरांखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की मांग

65–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में तिलवाड़ा सौरांखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु किन कारणों से नहीं भेजा जा रहा है ? क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव दिनांक 24-10-94 को भारत सरकार को भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में रा० आयुर्वेदिक अस्पताल गूलर दोगी एवं राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल सिद्ध सोड के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण किये जाने की मांग

66–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में रा० आयुर्वेदिक अस्पताल गूलर दोगी एवं रा० आयुर्वेदिक अस्पताल सिद्ध सोड भवन का पूर्ण क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इन भवनों की मरम्मत या निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण करने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में गजा तमियार शिवपुरी मोटर मार्ग का पूर्ण निर्माण किये जाने की मांग

67–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में गजा शिवपुरी मोटर मार्ग वन विभाग ने कब बनाया था ? क्या इस मोटर मार्ग की मरम्मत वन विभाग ने की है ? यह मोटर मार्ग कितने कि० मी० बना है ? क्या यह सत्य है कि इस मोटर मार्ग को तिमली तक बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया है ? इस मोटर मार्ग को बनाने का क्या उद्देश्य था ? क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ ? क्या वन विभाग द्वारा शिवपुरी तक इस मोटर मार्ग को पूरा बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गजा, तमियार शिवपुरी मोटर मार्ग वन विभाग द्वारा 1960-61 से 1976-77 तक भिन्न-भिन्न चरणों में बनाया गया । इस मार्ग की मरम्मत वन विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 तक नियमित रूप से की गयी । इसके पश्चात् धनाभाव के कारण मार्ग को नियमित मरम्मत नहीं की जा सकी । यह मोटर मार्ग 21.521 कि०मी० बनाया गया था । मार्ग का निर्माण वनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बसरधार (तिमली) नामक स्थान तक ही किया गया । अतः मार्ग निर्माण को अधूरा छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता । मार्ग निर्माण का उद्देश्य वनों का निरीक्षण था । यदि निर्मित मार्ग की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध हो जाय तो मार्ग निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ।

जी नहीं । वनों की सुरक्षा की दृष्टि से शिवपुरी तक इस वन मोटर मार्ग का निर्माण उचित नहीं है ।

जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा व्यापक भष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

68–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 29-9-94 या उसके आस-पास मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर स्वास्थ्य निदेशक, बरेली मण्डल बरेली तथा मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर को पत्र भेजे थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 3-10-94 के द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने अपने स्तर से क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराकर जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

दि० 26-9-94 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जा रही है ।

प्रदेश के एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति के कारण

69–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पतालों में कितने आयर्वेदिक डाक्टर तैनात हैं ? क्या प्रदेश में एलोपैथिक डाक्टरों की कमी है ? यदि नहीं, तो प्रदेश में ऐसी व्यतस्था क्यों की जा रही है ? क्या आयुर्वेदिक डाक्टर एलोपैथिक अस्पतालों में सही काम कर लेते हैं ? यदि नहीं, तो ऐलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरांचल में भूकम्प आने से जल स्रोत सूख जाने के कारण पेयजल संकट दूर किये जाने की मांग

70–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री को ज्ञात है कि भूकम्प के आने से उत्तरांचल में जल स्रोत सूख गये हैं ? क्या यह सत्य है कि जलस्रोत सूख जाने से उत्तरांचल के कुछ भागों में गम्भीर पेयजल संकट पैदा हो गया है ? सरकार पेयजल संकट दूर करने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्रोत सूखे हैं तथा कुछ स्रोतों के स्राव कम हुए हैं ।

जी हां ।

उत्तराखण्ड में पेयजल संकट दूर करने के लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर शासन द्वारा निरन्तर वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में लावा चाका, सूर्यकुण्ड रानीताल, जवाडी रौठिया तथा सिल्काखाल चून्नी इलाकों के लिये लिफ्ट पेयजल योजना की स्वीकृति किये जाने की मांग

71–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल से लिफ्ट पेयजल योजना लावा चाका, सूर्यकुण्ड रानीताल, जवाडी रौठिया तथा सिल्काखाल चुन्नी का आगणन तैयार होकर शासन को भिजवाया गया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति शासन से नहीं दी जा रही है ? क्या यह सत्य है कि उक्त इलाकों में पेयजल का संकट बना हुआ है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

योजनाओं का परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति सम्भव होगी ।

ग्रीष्मकाल में उक्त इलाकों में जलापूर्ति में कमी हो जाती है ।

सदर चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय गोरखपुर/देवरिया को सफाई, मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग के नाम पर स्वीकृत धन एवं जांच

72–श्री वासुदेव सिंह–

क्या स्वास्थ्य कृपया बतायेंगे कि सदर चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय गोरखपुर/देवरिया को सफाई, मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग के नाम पर पिछले तीन वर्षों में कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है ? मदवार कुल कितना धन व्यय किया गया ? किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया ? क्या यह सत्य है कि ठेकेदारों द्वारा सफाई के नाम पर कोई व्यय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

सदर चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय गोरखपुर/देवरिया को गत तीन वर्षों में भवनों की सफाई, मेन्टीनेंस एवं रिपेयरिंग हेतु स्वीकृत, व्यय की गयी धनराशि तथा ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 113–119 पर)

73–श्री बची सिंह रावत–

[4थे गुरूवार में अता० प्र० सं०–32 के अन्तर्गत स्थान्तरित ।]

जनपद गढ़वाल में विकास खण्ड खिर्सू थलीसैंण, पावो. बीरोखाल पोखड़ा में जल निगम द्वारा मदवार व्यय किया गया पैसा एवं कृत कार्यों की जांच

74–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में विकास खण्ड खिर्सू थलीसैंण, पावो, बीरोंखाल पोखड़ा में जल निगम द्वारा विगत पांच वर्षों में किस-किस मद में विकास खण्डवार कितना पैसा व्यय किया गया ? व्यय किये गये कार्यों की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

त्रुटिपूर्ण कार्य किये जाने की जानकारी होने पर अथवा इस संबंध की कोई शिकायत प्राप्त होने पर निर्माण कार्य की जांच करायी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृ० 120 पर)

उत्तराखण्ड में निर्धारित मानदेय पर कार्यरत, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों को समायोजित किये जाने की मांग

75–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में जो आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक मात्र 1800/-प्रतिमाह पर कार्य कर रहे हैं उनको विगत तीन साल से समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सकों को कब तक समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तरांचल में प्रतिदिन के लिये निर्धारित मानदेय पर कार्यरत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों के समायोजन का प्रकरण विचाराधीन है ।

निर्णय होने पर समायोजन के संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में रा० उ० मा० वि० मासौ विकास खण्ड थलीसैंण के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण किये जाने की मांग

76–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मासौ जो कि विकास खण्ड थलीसैंण में स्थित है, तूफान से भवन की पूरी छत उड़ गयी है ? यदि हां, तो भवन निर्माण की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उ० मा० विद्यालय, मासौ, के भवन के तीन कमरों की छतें तूफान से उड़ी थीं ।

उक्त भवन की मरम्मत हेतु आगणन मांगे गये हैं ।

आगणन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त मरम्मत कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

77–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

होम्योपैथिक निदेशालय लखनऊ के अन्तर्गत रिक्त चल रहे विभिन्न पदों पर आरक्षण का कोटा पूरा करने हेतु विशेष भर्ती अभियान चला कर पूरा किये जाने की मांग

78–श्री महेश चन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण का कोटा पूरा करने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु शासन द्वारा कौन-कौन से शासनादेश आज तक जारी किये गये हैं ? क्या इन शासनादेशों के आधार पर होम्योपैथिक निदेशालय लखनऊ के अन्तर्गत रिक्त चल रहे होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, प्राचार्य, प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता एवं डिमान्स्ट्रेटर के पदों पर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का आरक्षण का कोटा पूरा करने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाकर तदर्थ नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक चयन प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलापूर्ति अधिकारी फैजाबाद कार्यालय के स्टाफ द्वारा शहरी क्षेत्र में मिट्टीतेल के विक्रेताओं की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री परशुराम–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति अधिकारी फैजाबाद कार्यालय में तैनात निरीक्षकों द्वारा पूर्ति लिपिक व अन्य स्टाफ के दस्ते के साथ शहरी क्षेत्र फैजाबाद के थोक मिट्टी तेल के विक्रेता मेसर्स रामनिवास पुस्कर दत्त सहित अन्य मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं के यहां दिनांक 28-3-95 को आकस्मिक जांच की गयी है ? क्या जांच कर लेने के बाद पूर्ति निरीक्षकों ने अपनी जांच आख्या जिलापूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी फैजाबाद को उसी दिन सौंप दी है ? यदि हां, तो जांच आख्याओं के अनुसार थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के आधार पर प्रश्नगत थोक विक्रेताओं का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और उसे सन्तोषजनक न पाये जाने पर उनकी जमानत की धनराशि में से रु० 500–500 सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दे दी गई है । कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

80–श्री परशुराम–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग प्रथम, द्वितीय, महराजगंज के बेलवा रजबहा रानीपुर मझौआ, अहिरौली तथा बोदान माइनर, छितौनी माइनर एवं पिपरिया माइनर की खामियों को दूर कर सिंचाई सुविधा दिये जाने की मांग

81–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग प्रथम, द्वितीय, महराजगंज के बेलवा रजबहा रानीपुर मझौआ, अहिरौली तथा बोदान माइनर जो बोदना तक है, छितौनी माइनर जो हनुमानगंज झरवलिया, कटका तक पिपरियां माइनर जो मैरी तक खोदी गई है, की खुदाई में तकनीकी कमी के कारण हेड का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है जिसमें सुधार लाने के लिए सिंचाई विभाग को दिनांक 28 जुलाई, 1994 से पत्र लिखे जा रहे हैं, किन्तु सिंचाई सुविधा सही नहीं हो पा रही है ? क्या देवरिया शाखा के ऊपरी नहर के किलोमीटर 2.630 पर रेनकट में मिट्टी भराई का अनुबन्ध किया गया था ? क्या वर्ष 1994-95 में ढाई लाख के आगणन में कैरेज की मिट्टी दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार तत्काल उपरोक्त नहरों की खामियों को दूर कराकर सिंचाई सुविधा देने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया है । समय-समय पर आवश्यकतानुसार सिल्ट की सफाई कराई जाती रही है । इन नहरों के टेल तक सिंचाई भी हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । आवश्यकतानुसार सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाना शासन की नीति है ।

भारत सरकार द्वारा संचालित जलागम योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज लोहरौली चेतना केन्द्र से सम्बद्ध चयनित ग्राम सभाओं में फर्जी नामों पर सामानों के वितरण की जानकारी की मांग

82–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार द्वारा संचालित जलागम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में भूमि संरक्षण विभाग जनपद-महराजगंज लोहरौली चेतना केन्द्र से सम्बद्ध चयनित ग्राम सभाओं में कुल कितना वृक्षारोपण, नाला की सफाई, घास लगवाई तथा कामगारों को एक हजार रुपये तक की फ्री सिलाई मशीन, लोहारगीरी, बकरी आदि पालने तथा कृषकों को दलहन, तिलहन के उत्पादन बढ़ाने के लिए कुल कितने रुपये का बीज बांटा गया है ? क्या यह सही है कि सामानों के वितरण में मानक का ध्यान न देकर मनमानी तौर पर फर्जी नामों पर वितरण किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993-94 में इस इकाई द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है । वर्ष 1994-95 में लोहरौली चेतना केन्द्र में नौवावारी, लोहरौली, कुडजा, किशुनपुर, भरवलिया, तुर्कहिया, रामनगर, नौलिया ग्रामों में भौतिक एवं वित्तीय कार्य किया गया । विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	मद	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (रु० में)
1	वृक्षारोपण (सं० में)	48164	5,42,738.00
2	नाले की सफाई	3,200 मी०	23,733.00
3	घास की लगवाई	21,546 मी०	35,515.00
4	फ्री सिलाई मशीने	शून्य	शून्य
5	कर्मकारों को दिये गये अनुदान		
क–	बकरी (सं० में)	231	2,09,900.00
ख–	लोहारगीरी (सं० में)	2	2,000.00
6	उत्पादन हेतु बीज वितरण		
		कुन्तल	
क–	दलहन	14.265	26,604.25
ख–	तिलहन	0.830	1,643.40
ग–	डी पी ए पी	0.418	3,532.10
घ–	कल्चर–119 मी० टन	—	476.00

जी नहीं । यह वितरण मानक के अनुसार किया गया है तथा सही नामों पर ही वितरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के नारायणी नहर पर ग्राम सभा लढ़िया विकास खण्ड निचलौल के टोला गजौली के सामने बसे अनुसूचित जाति के परिवारों के यातायात की सुविधा के लिए बने पुल में लगे सामानों को हटाकर उसे बन्द करने का कारण

83–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नारायणी नहर पर ग्राम सभा लढ़ियां विकास खण्ड निचलौल जनपद–महराजगंज के टोला गजौली के सामने अनुसूचित जाति के परिवारों की यातायात सुविधा के लिए लोहे का पैदल पुल का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो पैदल पुल को तोड़कर पुल में लगे सामानों को हटा कर यातायात की दी गई सुविधा को बन्द करने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । निर्माण कार्य में सुविधा हेतु अस्थायी पुल बनाया गया था ।

पुल असुरक्षित हो गया था अतः ग्रामीणों के जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से हटाया गया ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज के अधीनस्थ बी गैप बांध पर किये गये कार्य का फर्जी भुगतान

84–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज के अधीनस्थ बी गैप बांध पर माह सितम्बर, 1994 से दिनांक 31 मार्च, 1995 तक कोई कार्य किसी स्तर का नहीं हुआ है ? क्या विभाग ने 35 लाख रुपये का भुगतान बोल्डर आदि के नाम पर दिनांक 31 मार्च, 1995 में ही किया है ? यदि हां, तो इस प्रकार से फर्जी भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया है ? क्या आपूर्ति बोल्डर की रायल्टी नेपाल सरकार को भुगतान की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

सुश्री मायावती–

सितम्बर, 1994 से मार्च, 1995 के बीच बी गैप बांध पर सामान्य रख-रखाव एवं कटाव निरोधक कार्यों के मरम्मत का कार्य किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल की दरियालग्गा सुकई, रोता, बांसी, ईडा मटेला की पेयजल योजनाओं की असफलताओं के कारणों की जांच

85–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल की दरियालग्गा सुकई, रोता, बांसी, ईडा, मटेला पेयजल योजनाओं की असफलताओं के कारणों की जांच सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जुलाई–सितम्बर, 1993 की अतिवृष्टि से दरियालग्गा सुखई पेयजल योजना, रोता पेयजल योजना तथा बांसी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण तथा ईडा मटेला पेयजल योजना के अन्तर्गत जल स्रोतों के स्राव में कमी हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल में स्थित ग्राम कदोला पेयजल योजना की स्थिति से सदन को अवगत कराने की मांग

86-डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"—

क्या मुख्य मंत्री जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोखाल में स्थित ग्राम कदोला पेयजल योजना की स्थिति से सदन को अवगत करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कदोला ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु० 64.26 लाख त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में स्वीकृत हुई थी । इस योजना पर निर्माण कार्य अप्रैल, 1990 में प्रारम्भ कराये गये थे । योजना के अन्तर्गत ग्राम कदोला, चोण्डला एवं वाडियूं सम्मिलित है । योजना का कार्य मई, 1995 में पूर्ण किया जा चुका है तथा योजना में सम्मिलित ग्रामों में पेयजल की सुचारु रूप से आपूर्ति हो रही है ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद को राज्य सरकार द्वारा शोध शिक्षा एवं प्रसार के लिए दिये जा रहे धन का दुरुपयोग कर डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, कुमारगंज को उक्त धन दिया जाना

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपा बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जो धन शोध शिक्षा एवं प्रसार के लिये नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्यविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के लिये दी जा रही है, का खुला दुरुपयोग डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, कुमार गंज, फैजाबाद को उपलब्ध कराकर किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को किसी भी प्रकार के धन देने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद तथा वित्त उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस विश्वविद्यालय परिसर में डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल की स्थापना की गयी है । विश्वविद्यालय की वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल के प्रथम तीन वर्षों तक वास्तविक आय-व्ययक के दृष्टिगत चलते हुए रु० ... लाख की अधिकतम सीमा में विद्यालय के घाटे की प्रतिपूर्ति सम्यक् विचारोपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया है । विश्वविद्यालय को शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से इस धनराशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई है ।

जनपद शाहजहांपुर में स्वास्थ विभाग की समस्त गाड़ियों के रख-रखाव का चार्ज उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को दिये जाने की मांग

88–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की समस्त गाड़ियों की मरम्मत तथा रख-रखाव का चार्ज श्री सकील बाबू, क्लर्क जिला–महिला चिकित्सालय शाहजहांपुर के पास है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह चार्ज उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी के पास होना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त चार्ज उपरोदत क्लर्क से लेकर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के चौधरी–

जी नहीं । जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की मरम्मत एवं उनके रख-रखाव का कार्य मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय के श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की देख-रेख में कराया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में दृष्टिहीनता निवारण के लिये गठित समिति के लिए सरकार से प्राप्त धन का मदवार विवरण एवं बिना अनुमति धन व्यय विषयक जांच एवं कार्यवाही की मांग

89–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में आई ब्लाइन्डनेस समिति गठित है ? क्या उसमें अध्यक्ष, जिलाधिकारी शाहजहांपुर, उपाध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा नेत्र सर्जन सचिव हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त समिति को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में कितना रुपया सरकार से प्राप्त हुआ तथा किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या समिति के सचिव ने सरकारी धन खर्च करने की अध्यक्ष से अनुमति ली है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त समिति के वरिष्ठ नेत्र सर्जन इस समिति के सचिव होते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में जूनियर नेत्र सर्जन को उपरोक्त समिति का सचिव नियुक्त किया है ? क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद शाहजहांपुर में जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति गठित है । इस समिति के पदाधिकारियों के विवरण निम्नवत है :–

अध्यक्ष	जिलाधिकारी
उपाध्यक्ष	रिक्त
सदस्य	मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य सचिव	कोआर्डीनेटर
टैक्निकल एडवाइजर	जिला नेत्र शल्यक

वर्ष 1993-94 में समिति को कोई भी धन नहीं प्राप्त हुआ । वर्ष 1994-95 में भारत सरकार से रु० 3.00 लाख प्राप्त हुआ । इस धनराशि के मदवार व्यय विवरण निम्नवत् है :–

1–कोआडीनेटर को पारिश्रमिक के रूप में	रु० 42,461.00
2–वाहन अनुरक्षण एवं ईंधन	रु० 8,497.00
3–स्वैच्छिक संस्था को अनुदान के रूप में	रु० 1,71,825.00

4–कन्टीजेन्सी व्यय	रु० 45,186.00
योग–रु०	2,67,969.00

अध्यक्ष की अनुमति से ही उक्त व्यय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा अन्धता निवारण कार्यक्रम, विश्व बैंक की सहायता एवं उनके द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत समिति में तैनात पूर्णकालिक कोआडीनेटर को सचिव बनाया गया है। अतएव नेत्र सर्जन को सचिव बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल में हिलाऊ नदी में रतनगढ़ भरद्वार विकास खण्ड जखोली में पैदल पुल का निर्माण किये जाने की मांग

90–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हिलाऊ नदी में रतनगढ़ भरद्वार विकास खण्ड जखोली टिहरी गढ़वाल में पैदल पुल का आगणन तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त पुल का निर्माण नहीं हो पाया है ? क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त कारणों से अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल की चन्द्रभागा नदी में पैदल पुल बनाये जाने की मांग

91–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की चन्द्रभागा नदी में पैदल पुल का आगणन शासन के पास आया हुआ है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

यह कार्य भूकम्प राहत के अन्तर्गत आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में नवीन विकास खण्ड हुलानाखाल के सृजन का प्रस्ताव

92–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में नवीन विकास खण्ड हुलानाखाल के सृजन का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो नवीन विकास खण्ड हुलानखाल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार छोटे-छोटे ब्लाक बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्तावित ब्लाक का सृजन किया जायेगा ?

श्री चैनसुख भारती–

प्रश्नगत विकास खण्ड के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना संभव नहीं है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्ड टिहरी गढ़वाल के उच्चीकरण किये जाने की मांग

93–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तरांचल में विगत 3 वर्षों से किसी भी राजकीय हाई स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकरण न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जूनियर हाई स्कूलों एवं राजकीय हाईस्कूलों का उच्चीकरण शीघ्र करने जा रही है ? क्या सरकार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्ड टिहरी गढ़वाल का उच्चीकरण करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में एक-एक राजकीय कन्या हाईस्कूल की स्थापना की जा चुकी है । वर्ष 1994-95 में जू० हाई स्कूल का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण तथा वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में राजकीय हाईस्कूल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण निर्धारित मानकों के अन्तर्गत अर्ह न पाये जाने के कारण नहीं किया जा सका ।

जूनियर हाईस्कूलों एवं राजकीय हाईस्कूलों के उच्चीकरण हेतु जितने भी प्रस्ताव शिक्षा निदेशक से प्राप्त हुए हैं उनका उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर परीक्षण कराया जा रहा है । इन विद्यालयों को परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये जाने पर ही उच्चीकरण किया जायेगा ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जखण्ड, टिहरी गढ़वाल का उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों से पंजीकरण शुल्क लेने के आरोप की जांच एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के छठे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं० 119 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उ० प्र० सरकार के आदेशों के विपरीत

जनपद शाहजहांपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण शुल्क एक रुपया मरीजों से वसूला जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० विभाग से कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । शाहजहांपुर जनपद में किसी भी सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में महिला स्वास्थ्य संगठन हेतु दिया गया बजट एवं व्यय का विवरण

95–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में महिला स्वास्थ्य संगठन की योजना चल रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त संगठन जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चल रहे हैं ? इस संगठन पर सरकार द्वारा वर्ष 1991 से 1994 तक हर वर्ष कितना-कितना बजट दिया गया तथा किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च प्रत्येक वर्ष किया गया ? क्या यह सही है कि महिला स्वा० संगठन जनपद शाहजहांपुर में मात्र कागजों पर चल रहा है ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत 220 महिला स्वास्थ्य संगठन चलाये जा रहे हैं ।

महिला स्वास्थ्य संगठन योजना के अन्तर्गत प्रचार सामग्री, प्रशिक्षण सेवा शिविरों के आयोजन, शिशु प्रदर्शनी, चलचित्र, टी० वी०, उपकरणों की मरम्मत, बाल राइटिंग, स्टेशनरी व पुरस्कार आदि की मदों पर वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में क्रमशः रु० 75,000, रु० 1,00,850 तथा रु० 2,50,000 की धनराशि का बजट दिया गया तथा क्रमशः रु० 74,903, रु० 1,00,813 तथा रु० 2,46,534.75 व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाई जा रही है और तदनुसार प्राप्त धन का उपयोग किया जा रहा है ।

श्रीमती रामरती गुप्ता ए० एन० एम० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर बरेली के विरुद्ध फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

96–डा० सियाराम सागर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती-पत्र श्रीमती रामरती गुप्ता ए० एन० एम० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर जनपद बरेली के विरुद्ध फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने तथा इसकी जांच कराने के सम्बन्ध में दिनांक 12-4-94 को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा निदेशक मातृ एवं शिशु कल्याण लखनऊ को दिये हैं ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर विस्तृत जांच कराई गई । जांच के उपरान्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद में अभियंत्रण सेवा द्वारा सांसद विकास निधि से प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में मार्गों के निर्माण में मानकों के विपरीत कार्य करके किये गये घोटाला विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

97–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा क्षेत्रीय सांसद के प्रधानमंत्री कोष से प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में 10 मार्गों का निर्माण किया गया है ? क्या यह सही है कि इन मार्गों के निर्माण में मानकों के विपरीत कार्य करके बहुत बड़ी धनराशि का घोटाला किया गया है ? क्या माह अप्रैल, 1995 में प्रश्नकर्ता का एक पत्र मुख्यमंत्री जी को उपरोक्त कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चैन सुख भारती–

जी नहीं ।

31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा उक्त अवधि में सांसद विकास निधि से कोई निर्माण कार्य नहीं कराए गए हैं ।

प्रश्न नही उठता ।

माह अप्रैल, 1995 में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला विकास खण्ड में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रूधऊ परियोजना कार्य को पूर्ण दिखाकर कराया गया भुगतान एवं टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

98–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के टूण्डला विकास खण्ड में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रूधऊ परियोजना कार्य को पूर्ण दिखाकर भुगतान कर लिया गया है जबकि उस पर निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

परियोजना में कार्य को पूर्ण कराकर एवं परिवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के सुहेला झील से जल निकासी का रास्ता निर्माण कराने की मांग

99–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा के सुहेला झील से किसानों की हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष जल निकासी का रास्ता न होने के कारण बर्बाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी का रास्ता निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सुहेला झील से जल निकासी हेतु सुहेला ताल ड्रेन का निर्माण हुआ है । ड्रेन के कुछ भाग में जल कुम्भी, सेवार बेहया आदि पैदा हो जाने के कारण जल निकासी अवरुद्ध था । ड्रेन की सफाई के पश्चात भी झील का जल स्तर ड्रेन की तली से अधिक नीचा होने के कारण 327 एकड़ क्षेत्र जलमग्न रहता है ।

जल निकासी हेतु ड्रेन पूर्व से ही निर्मित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर के महिला चिकित्सालय में रिक्त पदों के अनुरूप महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

100–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या पदों के अनुरूप चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी जनहित में पदों के अनुरूप महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

वर्तमान में शाहजहांपुर नगर के महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों के 5 पद रिक्त चल रहे हैं।

3 महिला चिकित्सक पदों के अनुरूप तैनात हैं।

जी हां, उपलब्ध होने पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद स्थित कृषि विपणन कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के विरुद्ध चल रहे मुकदमें पर कार्यवाही किये जाने की मांग

101–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित कृषि विपणन कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के विरुद्ध चोरी का कोई मुकदमा मुंसिफ न्यायालय अकबरपुर के यहां चल रहा है जिसमें यह महीनों जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटा ? यदि हां, तो इसको निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इसी कर्मचारी के विरुद्ध थाना देवाना में कोई मारपीट का मुकदमा भी कायम हुआ था ? यदि हां, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जिला राजकीय अधिवक्ता सिविल फैजाबाद की राय के अनुसार "मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही वांछित नहीं" बताई गई।

जी हां।

श्री पाण्डेय को प्रशासनिक आधार पर फैजाबाद से बहराइच के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम तौरा में ड्रेन पर पुलियों के निर्माण किये जाने की मांग

102–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम तौरा में शारदा नहर सिंचाई खण्ड उन्नाव द्वारा तौरा ड्रेन पर तीन पुलियों के निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व इस्टीमेट स्वीकृत हुआ था जिसके निर्माण के लिए उक्त स्थान पर कुछ सामान भी पहुंच गया लेकिन अभी तक पुलियों का निर्माण नहीं किया गया ? उक्त पुलियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1991-92 में उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव द्वारा तौरा ग्राम के निकट वर्षा के पानी की निकासी हेतु तीन पुलियों के निर्माण हेतु रु० 34625.00 का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था । निर्माण कार्य के लिये ह्यूम पाइप स्थल पर भेजे गये थे, परन्तु धनाभाव के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत उक्त पुलियों का निर्माण करवाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा जिला योजना से धन प्राप्त करने हेतु दिनांक 1-8-95 को प्राक्कलन एवं धनावंटन का अनुरोध जिलाधिकारी, उन्नाव से किया गया है । धन उपलब्ध होने पर ही उक्त पुलियों का निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर हुई फर्जी नसबन्दी की जांच एवं दोषी सी० एम० ओ० के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

103–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 1994-95 में व्यापक स्तर पर फर्जी नसबन्दी हुई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसमें दोषी सी० एम० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जांच करायी जा रही है ।

मा० विधायक जी से प्राप्त शिकायत की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मण्डल बरेली से करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज बेजरों के क्षतिग्रस्त भवन का नव निर्माण किये जाने की मांग

104–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज बेजरों का भवन क्षतिग्रस्त की स्थिति में है तथा कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है ? क्या उक्त भवन का नव निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज बेजरों का भवन जीर्ण-शीर्ण है ।

उक्त विद्यालय के भवन मरम्मत/निर्माण हेतु आगणन मांगे गये हैं । आगणन प्राप्त होने पर यथावश्यक धनराशि स्वीकृत कर निर्माण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में चोबट्टा-खाल-गवाणी पोखड़ा मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

105-डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में चोबट्टाखाल-गवाणी पोखड़ा मोटर मार्ग को पक्कीकरण किये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उसे पक्का किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र महराजगंज तथा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र शिवगढ़ के लिए एम्बुलेन्स गाड़ियां भेजे जाने की मांग

106-श्री श्री राजाराम त्यागी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र महराजगंज तथा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र शिवगढ़ में एम्बुलेन्स गाड़ी शासन से स्वीकृत होने के बाद भी नहीं दी गई ? क्या यह भी सही है कि इन गाड़ियों का उपयोग जिला स्तर के चिकित्साधिकारी अपने लिये करते हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों को दण्डित कर उपयुक्त स्थान पर गाड़ियां भेजी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?. यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी-

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज में एम्बुलेन्स स्वीकृत नहीं है । वैकल्पिक व्यवस्था में एक अन्य वाहन उपलब्ध है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगढ़ में भी एम्बुलेन्स स्वीकृत नहीं है परन्तु सोशल सेफटीनेट योजना के अन्तर्गत एक एम्बुलेन्स उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद की टाउन एरिया मदरसा के सरकारी सस्ता गल्ला व्यवसायी के सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा दिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही

107-श्री परशुराम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की टाउन एरिया मदरसा के सरकारी सस्ता गल्ला व्यवसायी के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी आपूर्ति द्वारा दिनांक 10-8-91 को दिए

गए आदेश के विरुद्ध फैजाबाद मण्डल के आयुक्त न्यायालय में अपील संख्या 473 वर्ष 1992 में दायर की गयी और इस याचिका पर सुनवायी पूरी करके तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा दिनांक 18-6-92 को निर्णय दे दिया गया ? यदि हां, तो आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय का बिन्दुवार ब्यौरा क्या है तथा इसके बारे में जिलापूर्ति अधिकारी/अपर जिलामजिस्ट्रेट (आपूर्ति) के स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संबंधित आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय का बिन्दुवार ब्योरा निम्नवत् है:–

1–निरीक्षण के समय पाई गई अनियमितताओं की प्रकारान्तर में अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है ।

2–अपीलार्थी का दायित्व था कि वह अभिलेखों को सुरक्षित रखता व मांगे जाने पर कार्यालय में जांच हेतु प्रस्तुत करता ।

3–अपील, उ० प्र० अनुसूचित व्यापारी (लाइसेन्स देना और अपसंचय पर निर्बन्धन आदेश 1989 के अन्तर्गत दायर की गयी है जिसके प्राविधान उचित दर की दुकान के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं है ।

4–विवादित आदेश जारी करने में कोई त्रुटि नही की गयी है ।

5–अपील बलहीन होने के कारण ग्राह्य नही है अतः अतद् द्वारा निरस्त की जाती है । विक्रेता के वितरण की जांच कराई गई । जांचोपरान्त अनियमितता पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी आपूर्ति के आदेश दिनांक 29 मई, 1993 के अन्तर्गत प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुए दुकान बहाल कर दी गई ।

राजकीय जिला चिकित्सालय फैजाबाद में कार्यरत विभिन्न चिकित्सकों द्वारा नर्सिंग होम/हास्पिटल चलाए जाने की जांचकर कार्यवाही किये जाने की मांग

108–श्री परशुराम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय सेवाओं के तहत राज्य सरकार की सेवा में विभिन्न जगहों पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों को निजी क्लीनिक/नर्सिंग होम या अस्पताल चलाने की छूट सरकार द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत विभिन्न चिकित्सकों द्वारा फैजाबाद शहर में नर्सिंग होम/हास्पिटल कैसे चलवाए जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी इन क्लीनिक और हास्पिटल की तथा संचालकों आदि के बारे में विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराकर कार्यवाही कराएंगे ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम सभा कुल्याड़ी के गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

109–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मा० मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम सभा कुल्याड़ी के गांव का आज तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम सभा कुल्याड़ी के गांवों में पेयजल के संकट दूर किये जाने की मांग

110–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मा० मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम सभा कुल्याड़ी के अनेक गांव में पेयजल का भयंकर संकट है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को पेयजल कब तक उपलब्ध हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कुल्याड़ी के लिए पेयजल योजना निर्मित है जिसके अन्तर्गत ग्राम कुल्याड़ी चित्रधार कुणम एवं डांडाखिल सम्मिलिति है । उक्त ग्रामों के अतिरिक्त जो नई बस्तियां उक्त योजना में सम्मिलित नहीं हो सकी थी केवल उनमें पेयजल की कठिनाई है । जिन बस्तियों में पेयजल योजना नहीं है उनके लिए पेयजल योजनायें बनाकर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पेयजल की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

जनपद चमोली के राजकीय इण्टर कालेज रतूड़ा के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण किये जाने की मांग

111–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मा० मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के राजकीय इण्टर कालेज रतूड़ा का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या पूरा विद्यालय मात्र दो कमरों में ही चल रहा है ? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की गयी ? क्या भवन निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद चमोली के राजकीय इण्टर कालेज, रतूड़ा का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ।

जी नहीं ।

उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मत हेतु रु० 20,000/-तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के भवन निर्माण हेतु 1.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

विद्यालय के भवन मरम्मत/निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार धनराशि स्वीकृत कर भवन की मरम्मत करायी जायेगी । समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के चिकित्सालय कार्यालयों में दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

112–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर जिला महिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में कितने ऐसे कर्मचारी/अधिकारी हैं जो दस वर्षों से ज्यादा समय से एक ही जनपद में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण अन्य जनपद में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में 24, जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में 55 कर्मचारी तथा जिला महिला चिकित्सालय में एक अधिकारी तथा 33 कर्मचारी 10 वर्षों से जनपद में कार्यरत हैं ।

इस वर्ष नैत्यिक रूप से स्थानान्तरण न करने की नीति निर्धारित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुण्डा ग्राम में उ० प्र० एग्रो द्वारा लगाया जा रहा जिंक सल्फेट प्लान्ट व लागत

113–श्री राजीव कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-नैनीताल के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुण्डा ग्राम में उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा लगाए जा रहे जिंक सल्फेट प्लान्ट में उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ? उक्त प्लान्ट को लगाने का विचार करते समय कितनी लागत आंकी गई थी और वर्तमान में कितनी लागत लग चुकी है ?

सुश्री मायावती–

यू० पी० एग्रो द्वारा जनपद नैनीताल के काशीपुर ग्राम कुण्डा में जिंक सल्फेट प्लान्ट धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका जिसके कारण उक्त प्लान्ट में उत्पादन अभी सम्भव नहीं है ।

उक्त प्लान्ट को स्थापित करते समय सर्वप्रथम यू० पी० डेस्को द्वारा इसकी लागत 38 लाख रुपये आंकी गयी थी परन्तु बाद में आई० आई० टी० कानपुर से इसका मूल्यांकन कराया गया जिसमें उन्होंने इसकी कीमत 70 लाख रुपये निर्धारित की थी ।

अब तक उक्त प्लान्ट में 66.28 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है ।

जनपद नैनीताल के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में आने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए निजी भवन, चिकित्सकों एवं दवाइयों की व्यवस्था किये जाने की मांग

114–श्री राजीव कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-नैनीताल के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जसपुर, काशीपुर, बाजपुर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? क्या सभी आयर्वेदिक चिकित्सालयों के अपने निजी भवन हैं ? क्या उक्त सभी चिकित्सालों में स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति है ? क्या इन चिकित्सालयों में दवाई आदि की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जनपद नैनीताल के काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 4 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं । एक 4 शैय्यायुक्त चिकित्सालय ब्लाक-कार्शीपुर में महुवाखेड़ागंज में तथा 3 चिकित्सालय ब्लाक जसपुर में स्थापित हैं । नादेही में बहिरंग चिकित्सालय, महुवा डाबरा एवं रामनगर बनका के चिकित्सालय 4 शैय्यायुक्त हैं । जी नहीं । महुवा डाबरा का एक मात्र चिकित्सालय सरकारी भवन में स्थापित है ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता के आधार पर दवाई आदि की व्यवस्था की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में निलम्बित चल रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

115–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो विगत कई वर्षों से निलम्बित चल रहे हैं ? क्या इन निलम्बित व्यक्तियों द्वारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर दिये जाने पर भी जांच अधिकारी ने बिना औचित्य के जांच आख्या नहीं प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती–

विभाग में ऐसे 5 कर्मचारी व 9 अधिकारी निलम्बित हैं ।

जी हां ।

जांच अधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि में जांच आख्या जांच अधिकारी द्वारा न प्रस्तुत करने पर दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

116–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में निलम्बित चल रहे अधिकारी/कर्मचारी किस वर्ष तथा किस तिथि से निलम्बित किये गये थे और उनके नाम व पद क्या हैं ? क्या उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निलम्बित कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम व निलम्बन की तिथि की सूचना संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृ० 121 पर)

विधान सभा क्षेत्र 40, बिसोली जनपद बदायूं के अन्तर्गत विकास खण्ड बिसोली इस्लामनगर व आसफपुर में हुई निःशुल्क बोरिंग का भौतिक सत्यापन कराकर अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117–श्री दयासिन्धु शंखधार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, 40, बिसोली जनपद बदायूं के अन्तर्गत विकास खण्ड बिसौली इस्लामनगर व आसफपुर में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में कितने निःशुल्क बोरिंग कराये गये ? क्या सरकार इनका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

विधान सभा क्षेत्र 40, बिसौली जनपद बदायूं के अन्तर्गत निम्न प्रकार निःशुल्क बोरिंग कराई गई :–

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1993-94	1994-95
बिसौली	92	277
इस्लामनगर	117	220
आसफपुर	455	424

जी हां।

माह अक्टूबर, 1995 तक भौतिक सत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यमण्डल झांसी में जाखलौन पम्प कैनाल के निर्माण के लिए बनी योजना एवं फर्जी भुगतान

118–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता कार्यमण्डल झांसी में जाखलौन पम्प कैनाल के निर्माण के लिए वर्ष 1990-91 में कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना को कार्यरूप देने के लिए अधीक्षण अभियन्ता ने एक करोड़ रुपये का अनुबन्ध किया था ? यदि हां, तो क्या अनुबन्ध के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में किये गये अनुबन्ध को किन्हीं कारणों से निरस्त करके पुनः योजना का अनुबन्ध एक करोड़ पांच लाख रुपये का करके लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । जाखलौन पम्प नहर परियोजना राजघाट नहर परियोजना के एक अंश के रूप में वर्ष 1979 में स्वीकृत हुई थी।

जाखलौन पम्प नहर के पम्पगृह के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा रु० 97,69,300/- पर अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, झांसी द्वारा अनुबन्ध संख्या–1/90-91 किया गया ।

अनुबन्ध संख्या–1/90-91 अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध ठेकेदार को रु० 32,31,542 का अनन्तिम भुगतान अभिशासी अभियन्ता ने किया ।

ठेकेदार द्वारा नींव के ऊपर का कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण कार्य समाप्ति की तिथि 14-5-93 के बाद कार्य की अन्तिम मापें माप पुस्तिका में अंकित कराकर अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु कई बार निविदायें आमंत्रित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, झांसी ने रु० 2,18,01,497.00 पर अनुबन्ध संख्या–1/94-95 किया । कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है ।

119–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं० 110 द्वारा उत्तरित]

120–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 19-7-95 को अता० प्र० सं० 172 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जनपद को मानक के आधार पर खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति किये जाने की मांग

121-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में खाद्यान्न का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मात्रा में किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या देवरिया जनपद को मानक के आधार पर खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों को खाद्यान्न का आवंटन नगरीय जनसंख्या एवं मांग के आधार पर किया जा रहा है ।

देवरिया जनपद को वर्तमान में 727 मी० टन गेहूं तथा 266 मी० टन चावल का आवंटन किया जा रहा है, जो पर्याप्त है । वर्तमान में खाद्यान्न की कोई अतिरिक्त मांग नहीं है । जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है वर्तमान में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले आवंटन के आधार पर देवरिया जनपद को आवश्यकता का लगभग 66 प्रतिशत मिट्टी का तेल आवंटित किया जा रहा है । प्रदेश में भारत सरकार से मिल रही मिट्टी के तेल की मात्रा को देखते हुए इसमें फिलहाल वृद्धि सम्भव नहीं है ।

122-श्री बची सिंह रावत-

[दि० 8-8-95 को अता० प्र० सं-33 द्वारा उत्तरित ।

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड कपकोट तथा ताड़ीखेत के ग्रामों को जीप मार्ग से जोड़ने के लिए बनी योजना को पूरा किये जाने की मांग

123-श्री बची सिंह रावत-

क्या मा० मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड कपकोट तथा ताड़ीखेत के ग्रामों को जीप मार्ग से जोड़ने के लिये विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ? यह योजना कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड के योजनागत व्यय में केन्द्र सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु प्राप्त धन एवं अधिकांश विधान सभा क्षेत्रों को अनुदान न देने के कारण की जानकारी

124–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के योजनागत व्यय में वर्ष 1994-95 में केन्द्र सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या इस धनराशि का उत्तराखण्ड विकास विभाग द्वारा मनमाने तौर पर उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो उत्तराखण्ड क्षेत्र के अधिकांश विधान सभा क्षेत्रों को अनुदान न देने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

उत्तराखण्ड क्षेत्र की उपयोजना 1994-95 के लिये केन्द्र सरकार से रुपये 197.06 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि प्राप्त हुई ।

जी नहीं ।

आयोजनागत मद में कोई धनराशि विधान सभा क्षेत्रों के आधार पर स्वीकृत नहीं की जाती है ।

जनपद बरेली में सेवारत श्री उम्मेद सिंह ग्राम विकास अधिकारी की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को नौकरी पेंशन तथा अन्य भुगतान दिये जाने की मांग

125–श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद बरेली में सेवारत श्री उम्मेद सिंह, ग्राम विकास अधिकारी का स्वर्गवास दिनांक 29-12-1983 को हो गया था ? क्या मृतक आश्रित को विभाग में नौकरी, पेंशन तथा अन्य देय भुगतानों को उनकी पत्नी श्रीमती सर्वेश कुमारी को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या विलम्ब में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं । श्री उम्मेद सिंह की पत्नी श्रीमती सर्वेश कुमारी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-6-92 के द्वारा यह बात संज्ञान में आयी कि श्री उम्मेद सिंह की मृत्यु दिनांक 29-12-1983 को अक दुर्घटना में हो गयी है ।

जी नहीं ।

इस पूरे प्रकरण की जांच मुख्य विकास अधिकारी, बरेली से करायी जा रही है । जांचोपरान्त जो भी लाभ देय होंगे उनकी पत्नी श्रीमती सर्वेश कुमारी को दिये जायेंगे तथा जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाया जायेगा उन्हें नियमानुसार दंडित किया जायेगा ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

126–श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 159 पद रिक्त हैं। यह पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं। जैसे-जैसे आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे तदनुसार उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने की मांग

127–श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक फार्मेसिस्टों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या इन पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

किशुनपुर, पम्प कैनाल, इलाहाबाद के सभी पम्प चलाये जाने की मांग

128–श्री शिवदानी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि किशुनपुर पम्प कैनाल इलाहाबाद में 8 पम्प निर्माण के समय लगाये गये ? क्या उसमें मात्र 4 पम्प ही चलाये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों को 400 क्यूसेक की अपेक्षा 200 क्यूसेक ही पानी मिल पाता है ? क्या उससे टेल तक सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो उक्त सभी पम्प जनहित को ध्यान में रखकर कब तक चलाये जायेंगे ? सरकार इसके लिये क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं। पांच पम्प चलाये जाने हेतु विद्युत उपलब्ध है तथा पांच पम्प ही विद्युत उपलब्धता के अनुसार चल रहे हैं जिससे 400 क्यूसेक पानी के विरुद्ध मात्र 210 से 225 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

जी हां, इतने पानी से समस्त नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच सकता है।

सभी पम्पों को चलाये जाने के लिये आवश्यक मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं है। इसके लिये 2 एम० वी० ए० अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होगी, इस हेतु राज्य विद्युत परिषद् को धनराशि दी जा चुकी है और उन्होंने लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जैसे ही लाइन पूरी हो जायेगी सभी पम्प चलाये जा सकेंगे तथा 4 नये पम्पों को क्रय करने के आदेश किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

129–श्री लाज कृष्ण गांधी–

[5वें बुध के लिये स्थगित]

जनपद आगरा में तहसील किरावली के अन्तर्गत स्थित देवनारी माइनर के सीपेज को रोकने की कार्यवाही किये जाने की मांग

130–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में तहसील किरावली के अन्तर्गत स्थित देवनारी माइन इस वित्तीय वर्ष में पक्की की गयी है ? यदि हां, तो उक्त माइनर का सीपेज क्यों नहीं रुक पा रहा है ? इस माइनर के सीपेज को रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी

रुक पा रहा है ? इस माइनर के सीपेज को रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जनपद आगरा में तहसील किरावली के अन्तर्गत स्थित देवनारी माइनर वित्तीय वर्ष 1994-95 में केवल कि० मी० 1.8 से 2.3 तक पक्की की गयी है । कि० मी० 1.6 से 1.8 तक कार्य प्रगति में है । कि० मी० 2.3 से कि० मी० 4.1 तक की रीच पूर्व वर्षों में पक्की की गयी है ।

प्रश्नगत कार्य में प्रगति में होने के कारण तथा कि० मी० 0.0 से कि० मी० 1.6 तक कोई पक्का करने का कार्य न होने के कारण सीपेज पूर्णतः नहीं रुक पाया है । उक्त पक्की की गयी रीचों में सीपेज रुक गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कि० मी० 0.4 से कि० मी० 1.6 तक माइनर को पक्की करने की योजना जनपद आगरा के ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रस्तुत कर दी जा चुकी है । इस पर अभी तक जिलाधिकारी, आगरा द्वारा धनावंटन नहीं हुआ है ।

जिला अधिकारियों या आयुक्तों के द्वारा ग्रामों में रात्रि विश्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी, आगरा द्वारा गढ़सानी ग्राम में निर्माण सम्बन्धी वायदे एवं उसे पूरा न करने का कारण

131–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अधिकारियों या आयुक्त के द्वारा ग्रामों में रात्रि विश्राम कार्यक्रम प्रदेश में चालू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या देहाती जनता को इन कार्यक्रमों से होने वाले लाभ की कोई समीक्षा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जनपद आगरा के जिलाधिकारी ने वर्ष 1993-94 में जनपद आगरा के बिचपुरी ब्लाक के अन्तर्गत स्थित गढ़सानी ग्राम में रात्रि विश्राम किया था और कुछ आश्वासन और वायदे कुछ मार्ग निर्माण कराने के लिये किये थे ? यदि हां, तो उन मार्गों को अभी तक न करने का क्या कारण है ? वह आश्वासन व वायदे कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी में घोंघली दल्लीपुर लिंक ड्रेन ब्लाक पिंडरा सिंचाई खण्ड षष्टम उपखण्ड वाराणसी की ओर से की गयी खुदाई व सफाई के कार्य की जांच किये जाने की मांग

132–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्षाती ड्रेन घोंघली ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी सिंचाई खण्ड षष्टम उपखण्ड वाराणसी की ओर से वर्ष 1994-95 में खुदाई व सफाई का कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि जितना धन इस कार्य पर व्यय हुआ है उसके मुताबिक खुदाई नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, ड्रेन का नाम घोंघली दल्लीपुर लिंक ड्रेन है तथा वर्ष 1994-95 में खुदाई व सफाई का कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के ग्राम सैफई में बने स्टेडियम की लागत एवं उसकी उपयोगिता की जानकारी

133–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम सैफई में कोई स्टेडियम बनाया गया है ? यदि हां, तो इसकी कुल लागत क्या है ? इसकी वहां उपयोगिता क्या है ? इसकी आवश्यकता का प्रस्ताव किन अधिकारियों ने किया ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कुल लागत रुपये 755.19 लाख है ।

प्रदेश के कुछ 14 वर्षीय आयु के उदीयमान खिलाड़ियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में ग्यारह खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत सैफई (इटावा) को उपरोक्त 11 केन्द्रों में से एक केन्द्र के लिये चयनित किया गया ।

भारत सरकार की खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र की योजना के तहत शासन स्तर पर किये गये निर्णय के अनुसार सैफई (इटावा) में यह केन्द्र स्थापित किया गया ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध मण्डी परिषद् कर्मचारी संघ, उ० प्र० का ज्ञापन एवं उस पर कृत कार्यवाही

134–श्री लल्लू सिंह–

क्या कृषि मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-5-95 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र तथा इसके साथ संलग्न भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध मण्डी परिषद् कर्मचारी संघ, उ० प्र० का ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मण्डी परिषद् के बर्कचार्ज/मस्टर रोल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विभाग में बर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान समायोजन हेतु आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु मा० परिषद् के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 16-3-94 में पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि मात्र बर्कचार्ज कर्मचारियों को नियुक्त करने के उद्देश्य से पदों का सृजन उचित नहीं होगा, जो पद रिक्त हों उनको भरने के लिये चयन की प्रक्रिया में इन कर्मचारियों को भी अवसर दिया जाय और यदि वे योग्य हों तो इनको अवसर प्रदान किया जाय । भर्ती/चयन प्रक्रिया होने पर निर्णय का अनुपालन किया जा सकेगा ।

दैनिक वेतन कर्मचारियों के संबंध में परिषद् की बैठक दि० 2-1-92/20-1-92 में पारित प्रस्ताव के अनुसार दि० 1-10-88 या इससे पूर्व से कार्यरत कतिपय दैनिक वेतन कर्मचारियों को योग्यतानुसार टंकक/लिपिक के पद पर समायोजित किया जा चुका है । अन्य संवर्ग के कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियों के समायोजन की कार्यवाही चल रही है । मस्टर रोल कर्मचारियों के समायोजनके संबंध में अभी किसी प्रकारकी कोई नीति निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पी० वी० सी० पाइपों की छिदाई के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा कौड़ियों के भाव स्क्रेप का बेचा जाना

135–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पी० वी० सी० पाइपों की छिदाई के उपरान्त प्राप्त स्क्रेप का कार्य वर्ष 1990–1995 तक टेण्डर द्वारा कराया गया है ? क्या टेण्डर जारी करने के पूर्व समाचार पत्रों में उसका ज्ञापन दिया गया ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा कौड़ियों के भाव स्क्रेप को बेच दिया गया ? क्या इससे राजस्व की जबरदस्त हानि हुई ? क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

लघु सिंचाई विभाग, गोंडा में पी० वी० सी० पाइप की छिदाई के उपरान्त प्राप्त स्क्रैप का कार्य नहीं होता है, अपितु विभाग द्वारा पी० वी० सी० पाइप के छिद्रण का कार्य कराया जाता है । इस कार्य में प्राप्त स्क्रैप के मूल्य को समाहित करते हुए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं ।

जी, हां ।

जी नहीं ।

जी, नहीं ।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–535/ल० सि०/कार्य/89, दिनांक 21-4-89 द्वारा गठित समिति जिसमें कि अधीक्षण अभियन्ता अध्यक्ष हैं, द्वारा अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत दर पर छिद्रण का कार्य कराया गया तथा निर्विदानुसार स्क्रैप का मूल्य ठेकेदार से जमा कराकर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत दानकोट (खिर्सू) नौगांव, न्यूनगढ़ (थलीसैण) आदि ग्रामों के लिये पेयजल योजना बनाने की मांग

136–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत दानकोट (खिर्सू) नौगांव–न्यूनगढ़ (थलीसैण) द्वौर–बरसूड़ी (पावौ) ऐरोली भल्ला (पोखड़ा) चोखिन्डा (वीरोखाल) तथा डुमैलामल्ला (वीरींखाल) में पेयजल का संकट है ? क्या उपरोक्त ग्रामों की पेयजल योजनाओं को बनाकर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्णित स्थानों पर पेयजल की समस्या है ।

ऐरोलीमल्ला (पोखड़ा) में जलापूर्ति चालू है डुमैलामल्ला(वीरोखाल) में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है । डुमेलामल्ला (वीरोखाल) व नौगांव–न्यूनगढ़ (थलीसैण) में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु सर्वे कराया जा रहा है ।

दानकोट (खिर्सू) दौ बरसूडी (पावौ) चौरखिण्ड (वीरोखाल) में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनायें विरचित की जा चुकी हैं । आवश्यक सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर व धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पेयजल योजनाओं का निर्माण कराकर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद चमोली में मराड़ीसैण स्थित विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र को आवश्यकता के अनुरूप धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग

137–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली में मराड़ीसैण स्थित विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र को आवश्यकता के अनुरूप धनराशि अवमुक्त न होने के कारण वहां पर भारी संकट उत्पन्न हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करायेंगे ?

सुश्री मायावती–

जनपद चमोली के भरारीसैण स्थित विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र पर भारी संकट उत्पन्न नहीं हुआ है । इस केन्द्र हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रारम्भ में रु० 22.29 लाख की मांग अपर निदेशक से प्राप्त हुई थी जो माह मई, 94 तक स्वीकृत कर दी गयी थी । रु० 8.00 लाख की मांग वित्तीय वर्ष 94-95 के माह मार्च में प्राप्त हुई थी । चूंकि तब पशुपालन योजनाओं हेतु परिव्यय व आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध नहीं था अतः धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली में स्थित सिमली औद्योगिक क्षेत्र हेतु काश्तकारों की भूमि लेने के कारण वहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने की मांग

138–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में स्थित सिमली औद्योगिक क्षेत्र जिसमें काश्तकारों की सैकड़ों सिंचित भूमि गई है, में कब तक ऐसी सरकारी यूनिट की स्थापना की जायेगी जिसमे यहां के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो सके ?

सुश्री मायावती–

ग्राम सिमली जनपद चमोली में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 1989 में 28.85 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी । इस भूमि का प्रतिकर का भुगतान रु० 45.00 लाख प्रभावित काश्तकारों को किया जा चुका है ।

इस औद्योगिक क्षेत्र के एक हेक्टेयर क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने चाय बागवानी लगायी है और 5 हेक्टेयर भूमि की और मांग की है । 5 एकड़ भूमि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को मिल्क प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु दी गयी है । इन योजनाओं से बेरोजगार युवकों को रोजगार के साधन प्राप्त हो सकेंगे ।

भूमि संरक्षण अधिकारी लखनऊ (गोमती) के कार्य क्षेत्र में स्थित गढ़ा नाला पर लगे उपकरणों की चोरी में इंचार्ज अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

139–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ (गोमती) के कार्यालय में गढ़ा नाला रिकार्डर पर वर्ष 1992-93 में दो बार लगभग साढ़े चार लाख की चोरी होने के उपरान्त भी इंचार्ज अवर अभियन्ता के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न करके अधिकारी केवल चपरासियों का निलम्बन वेतनवृद्धि रोकना व बोनस रोककर उत्पीड़न कर रहे हैं ? यदि हां, तो अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ (गोमती) के कार्य क्षेत्र में स्थित गढ्ढा नाला पर लगे विभिन्न उपकरणों की चोरी वर्ष 1992-93 में हुई । उपकरणों की चौकीदारी हेतु लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्रमित है । निलम्बित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मा० उच्च न्यायालय के आदेश से बहाल हैं । कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिल रहा है बोनस का भुगतान मामले में अन्तिम निर्णय तक लम्बित रखा गया है किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया है ।

अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चौकीदारी पर लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ (गोमती)के कार्यालय में एक अवर अभियन्ता मैकेनिक शाखा की अवैधानिक ढंग से की गयी नियुक्ति एवं सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ (गोमती) के कार्यालय में एक अवर अभियन्ता मैकेनिकल शाखा का अवैधानिक ढंग से नियुक्त है और उसके लिये अवैधानिक ढंग से उपरोक्त अधिकारी ने एक अलग से उप इकाई बनाकर उसे भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं अवर अभियन्ता दोनों का चार्ज अनुचित ढंग से देकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ (गोमती) के कार्यालय में किसी अवर अभियन्ता की नियुक्ति अवैधानिक ढंग से नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद, सेवा निवृत्त सींचपाल, शारदा नहर खण्ड, हरदोई के अवशेष देयों में हो रहे विलम्ब के कारण की जानकारी

141–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ प्रसाद सेवानिवृत्त सींचपाल के अवशेष देयों तथा पेंशन की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की गयी हैं ? यदि हां, तो अब तक उसके अवशेष देयों तथा पेंशन आदि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद, सेवा निवृत्त सींचपाल को विभाग से संबंधित अवशेषों का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन के आदेश वित्त नियंत्रक द्वारा जारी किये जा चुके हैं जिसका भुगतान कोषाधिकारी, हरदोई द्वारा किये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थाना गछी राजवाहा में गोढ़िया ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कुलावा नं० 80 सिंचाई विभाग के नक्शे में होने के कारण इसे बनवाने की मांग

142–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थाना गछी राजवाहा में गोढ़ियां ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कुलावा नं० 80 सिंचाई विभाग के नक्शे व कागजात में हैं? क्या यह सही है कि शुरू से लेकर अब तक कुलावा बनाकर नहर के दक्षिण गोढियां व परसरा गांव की सिंचाई हेतु पानी दिया ही नहीं गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कुलवा नं० 80 बनवाने की आज्ञा देगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है । नहर के दक्षिण में ग्राम–गोढिया की सिंचाई कु० नं० 90. 92 व 94 से होती है ।

जिलाधिकारी, सहारनपुर की संस्तुति के कारण श्री चतरसैन गोयल को कबीर पुरस्कार दिये जाने की मांग

143–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में माह मार्च, 1991 में दंगों के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव के निमित्त श्री चतरसैन गोयल द्वारा किये गये अनुकरणीय कार्य के परिपेक्ष्य में, जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा माह जुलाई, 1991 में सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण (अनुभाग–2) उ० प्र० लखनऊ को कबीर पुरस्कार प्रदान करने हेतु संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, सहारनपुर की स्पष्ट संस्तुति के बावजूद अभी तक उक्त श्री गोयल को कबीर पुरस्कार किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया है ? श्री गोयल को कबीर पुरस्कार कब तक दे दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति किये जाने पर, राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर, भारत सरकार द्वारा कबीर पुरस्कार प्रदान किया जाता है । चूंकि श्री गोयल निर्धारित मानकों के आधार पर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, अतः इनके नाम की संस्तुति भारत सरकार को नहीं भेजी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144–श्री बची सिंह रावत–

[5वे मंगल में अता० प्र० सं० 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के खराब राजकीय नलकूपों को परित्याग कर पी० वी० सी० केप पाइपों से राजकीय नलकूप बनाये जाने की मांग

145–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के सभी खराब राजकीय नलकूपों को परित्याग कर दिया गया है ? यदि हां, तो राजकीय नलकूप को परित्यक्त करने का आधार क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सभी राजकीय नलकूप खारे पानी के कारण खराब हो गये थे ? यदि हां, तो क्या फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की शुष्कता एवं सिंचाई साधन विहीनता को ध्यान में रखते हुए इन सभी राजकीय नलकूपों को शासन पी० वी० सी० के पाइपों से बनायेगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कुल 22 राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ था । इनमें से 20 नलकूप खारे पानी के कारण खराब हो गये हैं, जिनका परित्याग प्रस्तावित है । शेष दो नलकूप कम निकास पर बालू देते हुए चल रहे हैं ।

भूमिगत पानी की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण राजकीय नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला बरेली के स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात स्व० डा० एस० एस० रावत द्वारा आत्म हत्या एवं मृतक आश्रितों को वेतन, पेंशन आदि का भुगतान एवं नामजद अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

146–श्री बची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बरेली के स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात स्व० डा० एस० एस० रावत द्वारा मानसिक दबाव और विभागीय प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दिनांक 6-7-1993 को अपर निदेशक, स्वास्थ्य, बरेली मण्डल के कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर ली ? क्या इस आत्महत्या में मृतक द्वारा मृत्यु के पूर्व लिखी गयी तहरीर में नामजद अधिकारियों के विपरीत कोई कार्यवाही की गयी ? क्या मृतक के आश्रितों को मृतक के सेवाकाल तक के वेतन के समकक्ष पेंशन आदि का लाभ और मृतक आश्रित को सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां, अपर निदेशक, स्वास्थ्य बरेली मण्डल, बरेली के कार्यालय के बाहर दिनांक 6-7-1993 को डा० एस० एस० रावत द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया । डा० रावत को तत्काल जिला चिकित्सालय बरेली में लाया गया और साधन उपचार के बावजूद डा० रावत की मृत्यु हो गयी ।

सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है ।

मृतक के आश्रित को नियमानुसार पेंशन आदि का भुगतान किया जा रहा है और मृतक के आश्रित (डा० रावत की पत्नी) को सेवायोजित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

147-श्री बची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझगवां में कार्यरत चिकित्साधिकारी स्व० डा० एस० एस० रावत की दिनांक 6-7-1993 को विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गयी प्रताड़ना और मानसिक दबाव के फलस्वरूप अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग बरेली के कार्यालय के समक्ष की गयी आत्महत्या के मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये थे? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैण तथा तहसील रानीखेत के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

148-श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैण तथा तहसील रानीखेत में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितने ग्रामों को चयनित किया गया और कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में विद्युतीकरण हेतु जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैण के ग्यारह ग्रामों तथा तहसील रानीखेत के दस ग्रामों का चयन किया गया था जिनमें से दिनांक 31 मार्च, 95 तक तहसील भिकियासैण के छह ग्रामों का तथा तहसील रानीखेत के चार ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के लिये नवीन मार्गों व सेतु निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने की मांग

149-श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 1994-95 में नये मोटर मार्ग तथा सेतु निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस क्षेत्र के लिये भी नवीन मार्गों व सेतु निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 1994-95 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एक मोटर मार्ग एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत मार्गों व एक काजवे के निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी श्री उमेश राय द्वारा की गयी अवैधानिक नियुक्तियों के लिये उन्हें दण्डित किये जाने की मांग

150–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी श्री उमेश राय द्वारा माह मई, 1995 में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? क्या उक्त नियुक्ति के लिये पहले से कोई विज्ञापन निकाला गया था ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

सुश्री मायावती–

आठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां केवल आरक्षित वर्ग से की गयी हैं ।

जी नहीं ।

सेवायोजन अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाकर चयन किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी (कार्यवाहक) श्री उमेश राय का अपने गृह जनपद मऊ में वर्षों से कार्यरत होने के कारण बताये जाने की मांग

151–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी (कार्यवाहक) श्री उमेश राय अपने गृह जनपद में कई वर्षों से जनपद मऊ में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री उमेश राय का गृह जनपद आजमगढ़ है । 28-6-90 से वह जनपद मऊ में कार्यरत हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रोशन लाल कटियार उप निदेशक, कृषि रक्षा के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही

152–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोशन लाल कटियार, उप निदेशक, कृषि रक्षा के विरुद्ध कोई जांच बैठाई गयी थी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त जांच अधिकारी द्वारा क्या प्रतिवेदन दिया गया ? उस जांच आख्या पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच अधिकारी की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है । परीक्षणोपरान्त मामले में यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दि० 8-2-95 को अता० प्र० सं० 116 द्वारा उत्तरित]

154–श्री बची सिंह रावत–

| विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त |

जनपद अल्मोड़ा में पाली-चौड़ा–बाजन-सिनार मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

155–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-4-1994 जनपद अल्मोड़ा में पाली-चौड़ा-बाजन–सिनार मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस मोटर मार्ग को वित्तीय वर्ष 1994-95 में स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मोटर मार्ग को स्वीकृति प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

156–श्री तुलसी दास राय चन्दानी–

[दि० 1-8-95 को अता० प्र० सं० 31 द्वारा उत्तरित]

वित्तीय वर्ष 1994-95 के उत्तरांचल योजना के लिये निर्धारित परिव्यय एवं जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियां

157–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के उत्तरांचल योजना का परिव्यय क्या निर्धारित किया गया तथा 31 मार्च, 1995 तक उक्त परिव्यय के विरुद्ध कितने रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये उत्तराखण्ड विकास योजना के लिये 455.00 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें 59.69 करोड़ रु० की धनराशि आय-व्ययक की परिधि के बाहर अन्य संसाधनों/स्रोतों से जुटाई जानी थी । परन्तु आलोच्य अवधि में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आय-व्ययक की परिधि के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने हेतु 352.31 करोड़ रु० के परिव्यय की सीमा अनुमन्य की गयी ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में 31 मार्च, 1995 तक आय-व्ययक से स्वीकृति हेतु अनुमन्य परिव्यय की सीमा 352.31 करोड़ रु० के विरुद्ध लगभग 350.53 करोड़ रु० की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी । आय-व्ययक परिधि के बाहर अन्य संसाधनों से जुटाई जाने वाली 59.69 करोड़ रु० की धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी ।

158–श्री राम अचल राजभर–

| मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया |

जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर एवं मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर वांछित सूचना की जानकारी

159–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक महत्व के मामलों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-3-95 जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर एवं मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वांछित सूचना प्रश्नकर्ता को किस तिथि को उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो वांछित सूचना कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । वांछित सूचना अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), कानपुर नगर के अर्धशासकीय पत्र संख्या 782/95, दिनांक 7-7-1995 द्वारा प्रश्नकर्ता मा० विधायक को प्रेषित की गयी है ।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा जारी स्टोर कीपर संवर्ग की वरिष्ठता सूची में विसंगति

160–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा जारी स्टोर कीपर संवर्ग की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 5-12-94 एवं पूर्व में जारी अन्तरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 6-6-1990 में कोई भिन्नता है ? यदि हां, तो क्या विसंगतियों का निवारण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि अन्तिम वरिष्ठता सूची में अभी भी उन कर्मचारियों को वरिष्ठ दर्शाया गया है जो या तो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा वर्तमान समय में विभाग में कार्यरत नहीं हैं या पहले लिपिक पद पर नियुक्त हुए थे तथा बाद में स्टोर कीपर संवर्ग में आये हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता संवर्ग में आने की तिथि से निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

जी हां । क्योंकि सूची सेवा की वरिष्ठता पर निर्धारित होनी है । सूची के पुर्न प्रख्यापन होने पर ऐसे कर्मचारियों के नाम, जो अब कार्यरत नहीं हैं हटा दिये जायेंगे ।

जी हां ।

परीक्षण कार्य जारी है । शीघ्र ही उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री लाज कृष्ण गांधी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

162–श्री ऊदल–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं० 165 द्वारा उत्तरित]

श्री एम० पी० कुलश्रेष्ट, जिला चिकित्सालय, जनपद मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच की मांग

163-श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 मई, 1994, जो श्री एम० पी० कुलश्रेष्ठ जिला चिकित्सालय, जनपद मथुरा के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हाँ ।

शिकायतों की जांच हेतु अपर निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा को नामित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के ग्राम फीडर गोवर्धन में फीडर माइनर के टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत

164–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-6-94, जो जनपद मथुरा के ग्राम फीडर गोवर्धन में फीडर माइनर का टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा० विधायक का दिनांक 4-6-94 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अपितु उनका पत्र दिनांक 28-5-94 जोकि (गत खरीफ 1402 फसली में) माइनर फीडर की टेल पर पानी पहुंचाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ।

माइनर फीडर की टेल पर खरीफ 1402 फसली में पानी पहुंचा है तथा माइनर पर तीन तालाब भी भरे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

165–श्री महेश बाल्मीकि–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा के फतेहपुर सीकरी व जगनेर आदि पठारी व पहाड़ी कठिन स्टेटा वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक बोरिंग की व्यवस्था की जानकारी

166–श्री बदन सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा के लघु सिंचाई विभाग की रिंग मशीन आगरा से झांसी जनपद में 3 नवम्बर, 1994 को बिना जिलाधिकारी, आगरा की अनुमति के भेज दी गयी है ? यदि हां, तो इस मशीन को झांसी भेजने का क्या औचित्य था ? क्या यह सही है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी व जगनेर आदि पठारी व पहाड़ी कठिन स्टेटा वाले क्षेत्रों में किसानों की बोरिंग करवाने की अन्य कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो शासन वहां पर लघु किसानों की बोरिंग करवाने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

इस मशीन हेतु जनपद आगरा में आवश्यक कार्यभार उपलब्ध नहीं था ।

फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड डार्क श्रेणी में है, वहां नियमानुसार बोरिंग नहीं की जा सकती है तथा जगनेर आदि पठारी व पहाड़ी कठिन स्टेटा वाले क्षेत्रों में किसानों की बोरिंग करवाने हेतु शासनादेश संख्या 5245/54-2-847/90, दिनांक 27-7-93 एवं 816 एम० आई०/38-4-847/90, दिनांक 15-10-93 के अनुसार निजी संस्थाओं की रिंग मशीन के रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात् प्रयोग करने के आदेश हैं।

रिंग मशीन हेतु कार्यभार उपलब्ध होने एवं भूगर्भ जल सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर उनकी बोरिंग हेतु हैवी रिंग मशीन की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद आगरा में अकबर कालीन निर्मित एक खारिजा ब्रांच नहर को पुनः चालू करने की मांग

167-श्री बदन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी ब्रांच से सीकरी हिस्सा-4, रसूलपुर, जौताना व पतसाल सभी तहसील किरावली के ग्रामों की सिंचाई के लिये अकबर कालीन एक नहर खारिजा अभी तक मौके पर बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त नहर खारिजा को खुदवा कर उक्त ग्रामों की सिंचाई की व्यवस्था शासन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सभी ग्राम सिंचाई साधन विहीन के कारण उनका 50 प्रतिशत रकबा रबी की फसल में बिना बोये हुए जाता है ? यदि हां, तो उक्त खारिजा नहर को खुदवाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

सुश्री मायावती-

प्राचीन काल में निर्मित खारिजा ब्रांच नहर मौके पर बिस्मार अवस्था में है। परन्तु फतेहपुर सीकरी शाखा से इसमें पानी देने तथा प्रश्नगत ग्रामों की सिंचाई होने की पुष्टि अभिलेखों में नहीं है।

जी नहीं।

क्योंकि आगरा नहर प्रणाली मे सीमित जल उपलब्धता के कारण किसी नये क्षेत्र को सिंचाई के लिये जल देना सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत ग्रामों के क्षेत्र के कुछ भागों में राजकीय सिंचाई सुविधा पूर्णतः उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र बिना बोये रह जाता है।

आगरा नहर प्रणाली में सीमित जल उपलब्धता के कारण वर्तमान कमांड क्षेत्र में जलापूर्ति में ही कठिनाई होती है। अतः नये कमाण्ड में पानी देना सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम कोरई के निकट खारी नदी पर एक मुगलकालीन टूटे एवं जीर्ण तथा जर्जर स्ट्रक्चर का पुनरोद्धार किये जाने की मांग

168-श्री बदन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित कौरई ग्राम के निकट खारी नदी पर मुगलकालीन पक्के खम्भे जल संचय करने के लिये पर्याप्त हैं ? यदि हां, तो इन्हीं खम्भों का आवश्यक पुनरोद्धार पर उसी स्थान पर अब भी बरसाती जल संचय बांध सिंचाई व पेयजल आपूर्ति हेतु शासन बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम कौरई के निकट खारी नदी पर एक मुगलकालीन स्ट्रक्चर टूटा जीर्ण एवं जर्जर अवस्था में खड़ा है।

जी नहीं।

यह एक बहुत प्राचीन स्ट्रक्चर है और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कट आफ न होने के कारण बरसाती जल का संचय करना तकनीकी रूप से उचित नहीं है। यदि इस जर्जर स्ट्रक्चर का पुनरोद्धार भी किया जाये तो भी विश्वसनीय जल संचय बांध का निर्माण सम्भव नहीं होगा।

जनपद आगरा में लघु सिंचाई विभाग का खण्डीय कार्यालय खोलने की मांग

169–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में लघु सिंचाई का खण्डीय कार्यालय खोलने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं।

जनपद आगरा में लघु सिंचाई विभाग का खण्डीय कार्यालय वर्ष 1968–69 से कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा कैनाल के अपर डिवीजन में दिल्ली हरियाणा तथा मथुरा में सिंचाई जल की भारी चोरी होने के कारण आगरा जनपद को हो रही क्षति

170–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा कैनाल के अपर डिवीजन में दिल्ली, हरियाणा तथा मथुरा में सिंचाई जल की भारी चोरी होने के कारण आगरा जनपद की लोवर डिवीजन को अपने हिस्से का निर्धारित सिंचाई जल न मिलने के कारण जनपद की समस्त नहरों की टेलों पर रबी फसल के प्लेवट हेतु इस वर्ष पानी नहीं पहुंच पाया है ? यदि हां, तो क्या अपर कैनाल आगरा में इस सिंचाई जल की चोरी को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा अपने हिस्से के निर्धारित जल भाग से वंचित नहीं रहा। लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा को रबी फसल में माह जनवरी, 1995 तक रोस्टर में निर्धारित जल मात्रा के विरुद्ध 28% तथा वास्तविक जल उपलब्धता के जल भाग से 13 प्रतिशत अधिक जल मात्रा उपलब्ध हुई है। रबी में जनपद आगरा की 60 नहरों में शतप्रतिशत नहरों की टेलों में पानी उपलब्ध हुआ, जिनमें से 56 टेलों पर माह नवम्बर, 94 तक तथा शेष 4 नहरों की टेलों पर माह जनवरी, 95 के प्रथम पक्ष में रबी प्लेवट हेतु पानी उपलब्ध है

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में सहायक अधीक्षक पद पर नियुक्त नित्यानन्द पाण्डेय के प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण आदि में हुई अनियमितता

171–श्री रमापति शास्त्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में सहायक अधीक्षक पद पर श्री नित्यानन्द पाण्डेय कब से कब तक किस आदेश संख्या से कार्यरत रहे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनके इसी पद पर वर्ष 1979-80 में आगरा स्थानान्तरित होने के पश्चात् किस कर्मचारी को प्रोन्नति/कार्यभार सौंपा गया था तथा उन्हें किस कर्मचारी द्वारा कार्यमुक्त किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पत्र संख्या 4 पफ/(ए)/8380, दिनांक 10-3-81 द्वारा श्री जे० पी० दूबे को अपने पद डाइटीशियन के अतिरिक्त सहायक अधीक्षक के पद का कार्यभार

सौंपा गया था ? यदि हां, तो उन्होंने कब और किस तिथि तक कार्य देखा और किस तिथि को किस कर्मचारी को कार्यभार सौंपा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जारी स्टोर कीपर संवर्ग की अन्तिम वरिष्ठता सूची में हुई अनियमितता एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

172–श्री रमापति शास्त्री तथा श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जारी स्टोर कीपर संवर्ग की अन्तिम वरिष्ठता में कुल कितने कर्मचारी हैं ? क्या यह भी सत्य है कि माह जून, 1990 में जारी वरिष्ठता सूची को ही बाद में अन्तिम वरिष्ठता सूची मानकर प्रकाशित किया गया है ? क्या इसमें वहीं विसंगतियां हैं जो पूर्व वरिष्ठता सूची में थी ? यदि हां, तो विसंगतियों का निवारण न करने एवं पूर्व सूची को ही लम्बे अन्तराल के बाद प्रत्यावेदनों को अनदेखा करने का कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा सही वरिष्ठता सूची कब तक जारी करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां । कुल 94 कर्मचारी हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर कार्यालय (सेल) इन्दिरानगर, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभ की जानकारी

173–श्री रमापति शास्त्री तथा श्री राजेश कुमार बहेलिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–3280/पांच–12-92-48 (आई० पी० पी०–6)/92, दिनांक 28 दिसम्बर, 1992 में इंगित प्राविधानों के अनुसार प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर षष्टम, भारत जनसंख्या परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को एक स्तर का उच्च वेतनमान देना स्वीकृत है ? यदि हां, तो प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर षष्टम, भारत जनसंख्या परियोजना, सी-ब्लाक, इन्दिरानगर, लखनऊ में कार्यरत किन-किन कर्मचारियों को एक स्तर का उच्च वेतनमान दिया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि कुछ कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर कार्यालय (सेल) में 8 कर्मचारियों को प्रश्नगत शासनादेश का लाभ दिया गया, इनमें से मात्र 6 निम्नांकित कर्मचारी उक्त कार्यालय में कार्यरत हैं :–

1–श्री एस० एन० गुप्ता
2–श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
3–श्री नीलचन्द्र श्रीवास्तव
4–श्री पूरन सिंह अधिकारी
5–श्री हरीशंकर श्रीवास्तव
6–श्री अनिल कुमार अवस्थी ।

कुछ कर्मचारियों को इसका लाभ उनके संवर्ग में उच्च वेतनमान के पद उपलब्ध (रिक्त) न होने के कारण नहीं मिल पाया ।

अल्मोड़ा, रानीखेत नगर में के० एम० ओ० यू० बस स्टेशन पर सुलभ शौचालय बनाये जाने की मांग

174–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अल्मोड़ा के रानीखेत नगर में के० एम० ओ० यू० बस स्टेशन पर सुलभ शौचालय बनाने की योजना प्रस्तावित की गयी थी ? क्या पर्यटकों व यात्रियों की सुविधा हेतु इस सुलभ शौचालय का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चमोली में तल्लानागरपुर पेयजल योजना में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

175–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तल्लानागरपुर पेयजल योजना, जिला चमोली में की गयी अनियमितताओं तथा 21 बिन्दुओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर विकास मंत्री को दिनांक 17-10-94 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? 21 बिन्दुओं की जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, किन्तु वर्णित पत्र दिनांक 17-10-1994 का न होकर दिनांक 17-1-1994 का है ।

जांच कराई गई ।

तल्लानागपुर पेयजल योजना की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये थे :—

1–स्वीकृत पम्पिंग योजना के प्रस्तावों में मूलभूत परिवर्तन कर ग्रेविटी योजना तैयार कर योजना के निर्माण पर रु० 228 लाख व्यय किये गये ।

2–ग्रेविटी योजना का अनियोजित ढंग से एवं त्रुटिपूर्ण निर्माण कराया गया ।

3–योजना पूर्ण करने के संबंध में समय-समय पर गलत आश्वासन शासन एवं स्थानीय पत्रकारों को दिया गया ।

4– वेल्डिंग कार्य हेतु विभागीय पद्धति के विपरीत रिकन्डीशन इंजनयुक्त जनरेटर/वैल्डिंग ट्रांसफारमर सेट क्रय किया गया । अनुशासनिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों को निम्नानुसार दण्डित किया गया है :–

1–श्री ज्ञान सागर, अधी० अभि०–सेन्सर प्रविष्टि

2–श्री सी० एम० जैन, अधि० अभि०–भर्त्सना प्रविष्टि तथा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोका जाना ।

3–श्री हरीश चन्द्र–सहा० अभि०–भर्त्सना प्रविष्ट तथा एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोका जाना ।

4–श्री आर० पी० सिंह, अवर अभि०–भर्त्सना प्रविष्टि तथा एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोका जाना ।

176–श्री अक्षयवर लाल गौड़–

[4थे गुरु में अता० प्र० सं० 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामों में पेयजल समस्या समाधान हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना में जिले के अधिकारियों का दोहरा मापदण्ड

177–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 29-1-1994 पत्रांक 209306 जो गांवों में पेयजल समस्या समाधान हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना में जिले के अधिकारियों द्वारा दोहरा मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

प्रश्नकर्ता का सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित पत्र दिनांक 29-11-94 का पत्रांक 209306 प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा से आख्या प्राप्त की गयी थी तथा सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–1936/38-5-95-367/94. दिनांक 28-7-95 द्वारा मा० विधायक जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हिल कैडर लागू करने की मांग

178–श्री दर्शी सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उनके द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 1994 को हिल कैडर 30 दिन में पूरी तरह लागू करने की सार्वजनिक घोषणा की थी ? यदि हां, तो राजकीय सेवा में अभी तक पर्वतीय संवर्ग लागू न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसे लागू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उ० प्र० पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचना 31 विभागों में पर्वतीय उप सम्वर्ग लागू किया जाना था जिसमें से 28 विभागों में पर्वतीय उप सम्वर्ग लागू किया जा रहा है । 3 विभागों में उनके कार्यालय उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थित न होने अथवा अस्थाई विभाग होने के कारण पर्वतीय उप सम्वर्ग लागू नहीं किया जाना है ।

उपरोक्त विभागों द्वारा पर्वतीय उप सम्वर्ग लागू करने हेतु श्रेणी ख, ग व घ के कर्मियों के संबंध में विकल्प प्राप्त करके उनकी संवर्गवार ज्येष्ठता सूची तैयार करते हुए निर्धारित/अधिसूचना पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को भरे जाने संबंधी कार्यवाई की जा रही है ।

हिल कैडर लागू करने की प्रक्रिया निरन्तर प्रकृति की है अतः समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल के अन्तर्गत पड़ने वाला "मुबारक गंज बली का पुरवा बाबा का पुरवा बाबा शक्तिपीठ मार्ग" के कार्य को रोके जाने के कारणों की जानकारी

179-श्री परशुराम यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल के अन्तर्गत पड़ने वाला "मुबारक गंज बली का पुरवा बाबा शक्तिपीठ मार्ग" एक किलोमीटर दूरी तक लेपन स्तर तक का कार्य होने के लिए स्वीकृत है ? क्या इस मार्ग के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को धन आवंटित कराकर निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद "मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद" द्वारा कार्य रोक दिए जाने से मार्ग का निर्माण कार्य गत दो माह से ठप्प पड़ा है जिस कारण क्षेत्रीय लोगों के आवागमन में गम्भीर असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से रोका गया है ? मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

श्री चैनसुख भारती-

जी हां ।

स्थानीय विवाद के कारण मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) फैजाबाद के द्वारा कार्य रोक दिया गया था । स्थानीय विवाद का कारण यह था कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.20 किलोमीटर के विरुद्ध पूर्व में 1.00 किलोमीटर ही लेपन स्तर तक का कार्य स्वीकृत था । अब प्रश्नगत मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई 2.20 किलोमीटर की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय विवाद स्वतः समाप्त हो गया है । निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसे माह नवम्बर, 95 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर में कौन ब्लाक में भोगांव से बैइकार बस्ती मार्ग हेतु स्वीकृत धन में की गई अनियमितता की जांच

180-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कोन ब्लाक में भोगांव से बैइकार बस्ती मार्ग पर वर्ष 1992-93 में एक लाख रुपये का धन स्वीकृत हुआ था जिसको शासनादेश के तहत जे० आर० वाई० का कार्य स्थानीय मजदूरों से न कराकर आर० ई० एस० कोन मिर्जापुर के अपर अभियन्ता फर्जी मस्टर रोल बनाकर फर्जी भुगतान करके घोर अनियमितता की है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर संबंधित अवर अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चैनसुख भारती-

जी नहीं ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन में भोगांव से बैइकार बस्ती सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 93-94 में 1.05 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग कोन, मिर्जापुर के अवर अभियन्ता द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश के अनुसार उपलब्ध स्थानीय मजदूरों द्वारा कराया गया है तथा कार्यरत मजदूरों का मस्टर रोल तैयार कर उपस्थित के अनुरूप भुगतान किया गया है। भुगतान में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ए० डी० ओ० एम० आई० शाहगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच आख्या की जानकारी

181–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र सहित मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर को संबोधित श्री अवधेश कुमार शुक्ला, मण्डल अध्यक्ष, भाजपा शाहगढ़ सुल्तानपुर का ए० डी० ओ० एम० आई० शाहगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर डी० आर० डी० ए० के सहायक अभियन्ता ने दिनांक 30-4-94 को शिकायत-कर्ता व अन्य के साथ-जांच की थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के बयान लिए गये तथा उस पर क्या कार्यवाही की थी ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां।

जांच के दौरान दिनांक 4-5-94 को जांच अधिकारी सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुल्तानपुर द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के बयान लिए गये :–

1–श्री राम प्रसाद सुत श्री सुकन निवासी किटियावां।

2–श्री अंगनू सुत श्री बुधई निवासी किटियावां।

3–श्री बाबू लाल सुत श्री जग्गू निवासी किटियावां।

4–श्री राम टहल सुत श्री मंगरू निवासी किटियावां।

5–श्री राम दुलारे पुत्र श्री दिनई ग्राम गोपालीपुर।

6–श्री गयादीन सुत श्री दातादीन निवासी नीमर ओझापुरवा।

7–श्री राम लाल पुत्र श्री राम जियावन निवासी पूरे राम दयाल ओझा (दादू बहोरीपुर)।

जांच अधिकारी के स्तर से कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद महराजगंज की नारायणी नदी पर क्षतिग्रस्त बांधों के निर्माण एणं ड्रेनों की सफाई एवं मरम्मत की मांग

182–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-4-94 को जनपद महराजगंज की नारायणी नदी पर क्षतिग्रस्त बांधों के निर्माण ड्रेन की सफाई एवं मरम्मत कराने के लिए प्रस्ताव दिये गये थे जिस पर मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 26-4-94 को प्रमुख सचिव, सिंचाई से ड्रेन का निर्माण कराने

की अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो आज तक ड्रेन, तटबन्ध आदि का मरम्मत, निर्माण न कराये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । किन्तु प्रश्नगत प्रश्न में इंगित तिथि 26-4-94 न होकर 29-4-94 है ।

ड्रेन तटबन्ध न होकर नारायणी नहर है । यह नहर गण्डक नहर परियोजना के पूर्व चालू थी एवं गण्डक परियोजना के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के निर्माण के बाद से नारायणी नहर का परित्याग कर दिया गया तथा इसके क्षेत्र पर से सिंचित होने वाले क्षेत्र को गण्डक नहर कमाण्ड में सम्मिलित कर लिया गया । मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर वर्ष 1971 में चालू कर दी गयी थी तबसे नारायणी नहर के इस भाग पर रख-रखाव एवं मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ।

वाराणसी, आजमगढ़ मण्डल में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा पशुपालन व फल सब्जी संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी का अवस्थापना प्रस्तावना पर शासन की स्वीकृति

183–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी, आजमगढ़ मण्डल के कितने जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा पशुपालन व फल सब्जी संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी का अवस्थापना प्रस्तावना माह जनवरी, 1989 से दिनांक 31-12-93 तक के मध्य प्राप्त हुए हैं ? उसमें से कितने प्रस्ताव शासन के पास स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ? शेष प्रस्ताव शासन के पास कब तक स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

वाराणसी एवं आजमगढ़ मण्डल के केवल दो जनपदों वाराणसी तथा जौनपुर के प्रस्ताव जनवरी, 1989 से दिनांक 31-12-93 तक प्राप्त हुए हैं ।

कोई भी प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया ।

उक्त जो चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे मानकों के अनुसार संरक्षित नहीं हैं तथा उन पर डी० आर० डी० ए० का अनुमोदन प्राप्त नहीं है । अतः प्रस्तावों को शासन को भेजने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मिर्जापुर जनपद में ग्रा० पूर्वी टेक्सारी एवं बल्लीपुरवा एवं महिया मार्ग जे० आर० वाई० से मिट्टी के कार्य की स्वीकृति एवं कार्य में हुई अनियमितता की जांच

184–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के खण्ड विकास कोन में वर्ष 1993-94 में ग्रा० पूर्वी टेक्सारी एवं बल्लीपुरवा एवं महिया मार्ग जे० आर० वाई० से मिट्टी का कार्य स्वीकृत था जो स्थानीय मजदूरों से काम कराया जाना था जबकि फर्जी मजदूर एवं फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराकर आर० ई० एस० खण्ड विकास कोन के अवर अभियन्ता के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

प्रकरण की जांच कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि मथुरा में विश्व हिन्दू परिषद् और सरकार के बीच क्या समझौता हुआ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने आसन पर बैठ जायें ।

आज दिनांक 16 अगस्त, 1995 को (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें । अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

नियम 301 की सूचनाएं

आज दिनांक 16 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्रहय को छोड़ते हुए 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं–

(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (2) श्री मानवर सिंह कण्डारी (3) श्री राजकुमार शिवहरे (4) श्री बालेश्वर त्यागी (5) श्री भैरो प्रसाद मिश्र (6) श्री सुन्दर लाल दीक्षित (7) श्री मन्नूलाल कुरील ।

(उपर्युक्त माननीय सदस्यों की संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं)

सीतापुर नगर एवं उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती, खराब ट्रान्सफार्मरों तथा सब स्टेशनों के न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

। महोदय, सीतापुर नगर उसके आस-पास ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती, 5 एम०वी०ए० ट्रांसफार्मर 33 के०वी० सब स्टेशन हुसेनगंज के न बनने भवानीपुर की लाइन खिंच जाने के बाद भी रेलवे क्रासिंग का कार्य एवं ऊर्जीकरण न होने, 11 के०वी० लाइन ढीली होने की मरम्मत न होने आर्यनगर का ट्रांसफार्मर न लगने से क्षेत्र में भी भीषण विद्युत संकट है । भवानीपुर सब स्टेशन 66 के०वी० से 33 में बदलने का प्राक्कलन तथा वित्तीय स्वीकृति के बावजूद न बनना घोर चिन्ताजनक है सीतापुर नगर वर्षों से विद्युत कटौती युक्त रहा है । परन्तु अब कटौती की जा रही है ।

नोट:–। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इससे सामान्य जन संकट में है ही, उद्योग, व्यापार, कृषि कार्य सभी प्रभावित है। अंधेरा रहने से असुरक्षा भी रहती है।

यह समस्या सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सीतापुर नगर विद्युत कटौती से मुक्त हो। उपरोक्त कार्य युद्धस्तर पर पूर्ण करके,वितरण तथा पारेषण में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त कर, रखाव ठीक किया जाय, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान सम्भव हो सके।]

उत्तरांचल के लोगों को रोजगार मुहैया कराने हेतु लघु उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

[महोदय, उत्तरांचल की धरती विकास के लिए छटपटा रही है। यहां रोजगार के कोई साधन नहीं हैं, फलतः इस क्षेत्र का नवयुवक रोजगार की तलाश में मैदानों की तरफ दौड़ता है। उत्तरांचल में वृद्ध एवं महिलाएं रह जाती हैं फलतः इस पिछड़े क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है उत्तरांचल में जो व्यक्ति कुछ धन कमा लेता है वह भी मैदानों में बस जाता है। यदि कोई युवक शिक्षा ग्रहण करता है, वह भी मैदानों में नौकरी करना पसंद करता है। अस्तु उत्तरांचल के विकास के लिए उत्तरांचल का बुद्धिजीवी भी स्वयं इच्छुक नहीं हैं।

इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस पिछड़े क्षेत्र की पीड़ा को महसूस करते हुए यहां लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। इससे इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा। फलतः नवयुवकों का पलायन रोका जा सकेगा।]

जनपद बांदा में जलकर में हुई अनियमित वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 की सूचना

श्री राजकुमार शिवहरे–

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले अन्य जनपदों के साथ बांदा जनपद में जल संस्थान के द्वारा पानी के टैक्स में आकस्मिक वृद्धि करने से भारी जन आक्रोश व्याप्त हो चुका है, यह वृद्धि पानी के टैक्स की बहुत अधिक वृद्धि है जिसे वहां की जनता के द्वारा जन आन्दोलन करने का मन बनाया जा रहा है, और प्रशासन का घेराव करने का अभियान छेड़ा जा रहा है।

मान्यवर, जनता को मुश्किल इस बात से है कि जल संस्थान के द्वारा मात्र प्रतिदिन के हिसाब से एक घण्टे की आपूर्ति की जाती है परन्तु जल के टैक्स में इतनी अधिक वृद्धि वहां की जनता के द्वारा देना असम्भव है।

अतः इस ओर मैं ध्यान दिलाते हुए चाहूंगा कि बढ़ायी गई जल वृद्धि के टैक्स को तत्काल वापस लिया जाय अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही दुष्कर एवं भयानक हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद के नागरिकों को बस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं सुपर बाजार खोले जाने के संबंध में नियम 301 की सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, लोक महत्व के निम्न विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं राष्ट्रीय राजधानी पर बढ़ते हुए आबादी के दबाव को रोकने के लिए वर्ष 1985 में नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बार्ड ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने बोर्ड का गठन किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री पदेन सदस्य हैं तथा मुख्य नगर नियोजक सहित शासन द्वारा नामित अधिकारी उसके सदस्य हैं ।

उक्त बोर्ड ने दिल्ली नगर निगम व उसकी सीमा के साथ लगने वाले नगरों गाजियाबाद, नोएडा (उत्तर प्रदेश फरीदाबाद हरियाणा) को मिलाकर दिल्ली मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया है । उक्त बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया है कि दिल्ली मैट्रोपोलिटन एरिया में बस व सुपर बाजार आदि की सुविधायें उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी जिस प्रकार दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं ।

खेद है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें गाजियाबाद में आती तो हैं लेकिन किराया दिल्ली की दरों से बहुत अधिक वसूला जा रहा है । गजियाबाद के नागरिकों द्वारा बार-बार सुपर बाजार की मांग की जा रही है । लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है यह सरासर बोर्ड के निर्णयों का उल्लंघन है ।

उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करके गाजियाबाद के नागरिकों को बस व सुपर बाजार की दिल्ली सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए ।

आपके माध्यम से सरकार से इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के अतर्रा से कर्वी एवं मऊ तक का कार्य जीर्ण शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

[महोदय, झांसी मिर्जापुर मार्ग प्रदेश का अति व्यस्त एवं महत्वपूर्ण मार्ग है । यह मार्ग अतर्रा से लेकर मऊ तक चौड़ा नहीं हुआ है । अतर्रा से मऊ तक अत्यन्त संकट है । कर्वी से मऊ तक की 50 कि० मी० की हालत तो बरसात के 4-5 महीनों में स्थित अत्यन्त ही खराब हो जाती है । इस समय बरसात हो जाने से अतर्रा से कर्वी एवं मऊ के बीच में सैकड़ों वाहन फंसे पड़े हुए हैं । कुछ वाहन पलट गये हैं । कई-कई दिन से आवागमन बाधित हो रहा है । कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है । अतर्रा से कर्वी 37 किमी० एवं कर्वी से मऊ 50 किमी० इस तरह कुल 87 किमी० मार्ग चौड़ा होना शेष हैं । यह प्रदेश का आवागमन की दृष्टि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्ग है । चित्रकूट धाम देश की प्रमुखतम तीर्थ स्थल है । हजारों यात्री प्रतिदिन चित्रकूट आते हैं । प्रतिमाह आमावस्या को लाखों तीर्थ यात्री आते हैं । चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका में इसी मार्ग के किनारे स्थित है । इतने मार्ग के चौड़ीकरण के लिये शासन से

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

धन प्राप्त नहीं हुआ है । अतर्रा नगरपालिका के अन्दर इसी मार्ग में सड़क अत्यन्त खराब है । अभी पिछले पखवारे में एक बालक की इसी कारण मृत्यु भी हो चुकी है जिससे जनता सड़क पर निकल आयी थी ।

अस्तु इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए अतर्रा से कर्वी एवं कर्वी से मऊ तक लगभग 90 कि० मी० इस बचे राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा करने हेतु शासन से शीघ्र धन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।]

बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 की सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[महोदय, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में कालरा, ज्वर, बुखार जैसे संक्रामक रोगों के भीषण प्रकोप से रोनी, कान्धपुर, बेदनखेड़ा शिवनाम, खैराबीरू, कनक, पूरे देवीदास, चकौरा, शरीफाबाद, गद्दी गोंसिया मऊ, बरावां, उमान का पुरवा, बेहटा, मोहम्मदपुर, आदि दर्जनों ग्रामों में इस महामारी की चपेट में दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लोगों के उपचार, चिकित्सा हेतु दवायें उपलब्ध न होने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । डाक्टरों से जानकारी करने पर पता चला है कि जिला मुख्यालय से दवा न मिलने से दवाओं का अभाव उत्पन्न हो गया है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का आकर्षित करते हुए कार्यवाही मांग करता हूं ।]

ग्राम चक अमचुर पेरूआ/पचपेढ़ा तहसील कर्वी जनपद बांदा को वन विभाग से राजस्व विभाग में लिए जाने के संबंध में नियम–301 की सूचना

श्री मन्नू लाल कुरील–

[महोदय, ग्राम चक अमचुर पेरूआ/पचपेढ़ा तहसील कर्वी जनपद बांदा के निवासी श्री दादू लाल पुत्र श्री लगरा प्रसाद, श्री शिवराज पुत्र श्री रमेश्वर, श्री गोपाल पुत्र श्री सुसई इत्यादि को जिलाधिकारी, बांदा द्वारा सन् 1905 में जमीन पट्टे पर दी गयी थी, जिसकी लगान में लगती थी । लगभग 25 वर्ष बाद उक्त जमीन को राजस्व विभाग से वन विभाग में दिया गया, तब से उसकी लगान वन रेंज मार कुण्डी में जमा होने लगी और प्रति पट्टेदार को लगान जमा करने पर रसीद दी जाती थी परन्तु वर्ष से वन विभाग द्वारा लगान नहीं लिया जा रहा है । वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पट्टेदारों के आश्रितों को धमकियां दे रहे हैं कि उक्त पट्टे की जमीन पर आपका अधिकार नहीं रह जाएगा । तीन वर्ष की लगान भेजने पर डी०एफ०ओ० बांदा द्वारा नहीं लिया गया और वापस कर दिया गया ।

मान्यवर, पट्टेदारों के आश्रितों के बच्चे उक्त भूमि से ही पालित पोषित हो रहे हैं । जिनके सामने गम्भीर समस्या है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त भूमि को पुनः वन विभाग से राजस्व विभाग में लिये जाने हेतु चर्चा की मांग करता हूं। ।

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मथुरा में विश्व हिन्दू परिषद् और सरकार के बीच में क्या समझौता हुआ है ? इसे बताया जाय अन्यथा सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकेगी। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल आदि माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और व्यवधान उत्पन्न करते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद सं०–3. परिवहन मंत्री।

उ० प्र० मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 2344टी/30-4-94-67-91. दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस० आर०–549/ग्यारह–95–500(126)–94. दिनांक 10 मार्च, 1995 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1995 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1995 को पारित किया गया था

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 31 जुलाई, 1995 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 1995 वापस प्राप्त हो गया ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत अर्जुनाह-सरस्वाह मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री उदित किशोर अवस्थी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अन्तर्गत अर्जुनाह-सरस्वाह मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री उदित किशोर अवस्थी, निवासी जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

उ० प्र० चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 †

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(कांग्रेस दल के सदस्यों के वेल आफ दि हाउस में रिपोर्ट्स टेबुल के सामने खड़े रहने से घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उ० प्र० अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 †

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 31-8-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्रांधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेश अग्रवाल–

(वेल आफ दि हाउस से) इस तरह से पूरे प्रदेश को जो साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास चल रहा है, वह ठीक नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यहां इस समय बहुत अव्यवस्था है, सदन की कार्यवाही को आधा घण्टा के लिए स्थगित किया जाता है ।

(इसके बाद 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 55 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर घोर व्यवधान)

(श्री राम विशुन आजाद, श्री नरेश अग्रवाल, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कोकब हमीद, श्री राम स्वरूप सिंह आदि अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण अपना आसन ग्रहण करें ।

(तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये गये ।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती रखना चाहते हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, अतः मैं प्रश्न रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

(मुख्य मंत्री हाय-हाय, मुख्य मंत्री सदन में आओ, मुख्य मंत्री मुंह न चुराओ के नारे लगाये गये।)

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,82,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती रखना चाहते हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, अतः मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,82,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

(मुख्य मंत्री सदन में आओ, मुख्य मंत्री होश में आओ के नारे लगाये गये ।)

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,26,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती रखना चाहते हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर).

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, अतः मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,26,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, अतः मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,06,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो वह रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,06,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,61,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,61,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,88,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,88,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,29,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,10,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,10,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,48,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,48,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,30,39,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,30,39,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,53,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,53,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,91,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,91,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,35,41,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,35,41,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, आप [x x x] कर रहे हैं ।

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

नोट [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष पर आक्षेप है कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,45,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,45,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,87,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,87,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,69,97000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,69,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,39,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,39,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कोई विचार रखना चाहता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 14 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 में नयी धारा 131-ख का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"131-ख-(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिये ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् संक्रमणीय संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह गांव सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जायगा।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1995

3-(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 16-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जिले के कतिपय मार्गों में नदियों पर बने पुलों पर सरकार की घोषणा के बावजूद वाहन शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की लखनऊ में न्यायालय की हवालात तोड़कर 16 कैदियों के भागने के संबंध में है । इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

तीसरी सूचना डा० अरविन्द कुमार की प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में है । इसे भी वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

चौथी सूचना श्री राजाराम त्यागी की रायबरेली जिले की शारदा नहर दक्षिणी रायबरेली की डीह डी० आई० में सफाई और नहर के चौड़ा करने के नाम पर की गयी अनियमितताओं के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन विभाग में लखनऊ गाइड मैप न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । जिसे मैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

छठी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय एवं श्री नन्द किशोर मिश्र की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा अन्तर्गत 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने तथा पड़रौना जिले के तरयासुजान व दुधही विद्युत सब स्टेशनों के फीडरों की री-गुपिंग कराये जाने के संबंध में है । इसे भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं ।

सातवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद मिश्र की संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ द्वारा घोषित राज्य व्यापी हड़ताल के समय भादर विकास खण्ड, जनपद सुल्तानपुर के अध्यापकों का हड़ताल में भाग न लेकर अध्यापन कार्य करने के बावजूद भी दो माह का वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

आठवीं सूचना श्री बची सिंह रावत की अल्मोड़ा जिले की रानीखेत व भिकियासैण तहसीलों के अस्पतालों में डाक्टरों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

नवीं सूचना श्री बदन सिंह की आगरा जनपद में खनन पट्टे और नजूल भूमि की नीलामी में सरकारी राजस्व की हानि तथा नागरिकों में सामान्य जीवनोपयोगी आवास व्यवस्था न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में गत 14 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में है। इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

जनपद पड़रौना में श्री प्रदीप कुमार सिंहानिया की हत्या के सम्बन्ध में श्री शिव प्रताप शुक्ल स० वि० स० द्वारा दी गयी नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, प्रश्नगत सूचना दिनांक 2-8-1995 में यह व्यक्त किया गया है कि श्री प्रदीप कुमार सिंहानिया जो पडरौना जनपद .....

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

|... केहाटा नामक स्थान पर लाटरी का व्यवसाय करता था, की हत्या कर दी गयी और उसकी लाश की सूचना ग्रामीणों के द्वारा अहिरौली थाने पर दी गयी परन्तु थाना प्रभारी ने गाली देकर भगा दिया तथा लाश को मजदूर लगाकर हटवा दिया ताकि वह दूसरे थाना के क्षेत्र में चली जाय। काफी जनदबाव पर अहिरौली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। लाश को काटकर बहाने वाले थानाध्यक्ष को केवल लाइन हाजिर किया गया है। अब तक प्रदीप के कातिलों का कोई पता नहीं चला है।

श्री प्रदीप कुमार सिंहानिया की हत्या के संबंध में सर्वप्रथम मृतक के मामा ने दिनांक 21-7-1995 को थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर में यह सूचना दी थी कि उनका भांजा गुम हो गया है। इस आधार पर थाना कैंट जनपद गोरखपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दिनांक 24-7-1995 को मृतक के भाई श्री प्रमोद कुमार ने थाना कैंट गोरखपुर में एक प्रार्थनापत्र दिया जिसके आधार पर थाना कैंट, गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या–796/95 धारा 364 (अपहरण) (भा० दं० वि) पंजीकृत हुआ।

दिनांक 24-7-1995 को ही मृतक के भाई श्री प्रमोद कुमार द्वारा थाना अहिरौली बाजार जनपद पडरौना में यह सूचना दी गयी कि उनके भाई की लाश मझना नाला में है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष

अहिरौली बाजार फोर्स के साथ रवाना हुए और उन्होंने उसी दिन शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम हेतु शव को जनपद देवरिया भेज दिया । मृतक के शरीर का ढांचामात्र ही घटनास्थान पर मिला था और एक पैर के पंजे पर कुछ मांस मिला था । मृतक की हत्या या तो जनपद गोरखपुर की परिधि में की गयी थी और उसका शव मौका पाकर नाले में फेंक दिया गया था । यह नाला जनपद गोरखपुर से ही होते हुए थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र से गुजरता है । यह भी सम्भावित है कि मृतक की लाश बहकर इस स्थान पर आ गयी हो । मृतक का शरीर गर्मी के कारण डिकम्पोज हो गया था जिसके कारण शरीर का मात्र ढांचा ही बचा था । मृतक की पहचान उसके कपड़े और हाथ में बंधी घड़ी से ही हो पायी थी ।

अहिरौली बाजार पुलिस को लाश नाले में पड़ी होने की सूचना दी गयी थी अथवा नहीं इस बिन्दु पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गयी और उनके स्थानान्तरण के पश्चात् वर्तमान क्षेत्राधिकारी इस संबंध में जांच कर रहे हैं । यह भी सच है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री इन्द्रजीत सरोज को दिनांक 26-7-1995 को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया है ।

यह कथन प्रत्यक्ष रूप से सत्य नहीं है कि मृतक प्रदीप कुमार सिंहानिया की लाश को तत्कालीन थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार द्वारा टुकड़े कराकर बहा दिया गया । मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह विदित होता है कि लाश डिकम्पोज हो गयी थी । 5 दिन के अन्दर शव इस सीमा तक डिकम्पोज हो जाना एक नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया है । फिर भी इस विन्दु की छानबीन विवेचना के दौरान की जा रही है । वास्तविकता यह है कि डिकम्पोजीशन के कारण ही शव का अलग-अलग होना पाया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह आरोप सत्यापित नहीं होता कि शव के टुकड़े-टुकड़े किये गये हों । थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन हाजिर केवल इस कारण किया गया है कि वादी ने यह शिकायत की है कि शव थाने से डेढ़ कि० मी० की दूरी पर पड़ी रही और सूचना देने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही नहीं की गयी । इस संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है । जांच के अनुसार ही अग्रिम प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्नगत अभियोग का रहस्योद्घाटन करने एवं अभियुक्तों का पता लगाने व उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक हाटा के नेतृत्व में 5 अधिकारियों की एक टीम का गठन भी किया गया है । इस प्रकार इस अभियोग के संबंध में प्रभावी ढंग से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ।।

नगर विकास विभाग में तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में डा० सरजीत सिंह डंग स० वि० स० द्वारा दी गयी सूचना पर वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, सदन के माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना में शासन के नगर विकास विभाग में कतिपय उच्चधिकारियों तथा पूर्व मंत्रियों के पुत्र एवं

वन लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

। रिश्तेदारों की नियम विरुद्ध की गयी नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में अभी तक कराये गये प्रारम्भिक परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों हेतु वर्ष 1991 में लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गये थे परन्तु आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न कराये जाने और तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए तत्कालीन मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियां किये जाने पर विचार किया गया । आयोग को प्रेषित अधियाचनों में आरक्षण की व्यवस्था पूर्व नियमों के अनुसार की गयी थी, नवीन आरक्षण प्राविधानों के अनुसार उसमें भी संशोधन किया जाना था अतएव लोक सेवा आयोग से अधियाचनों को वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया और उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम–31 के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियां किये जाने हेतु मा० मंत्रि परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

2. विभिन्न पदों पर तदर्थ नियुक्तियों हेतु समाचार-पत्र में दिनांक 1-11-94 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके विरुद्ध भारी संख्या में आवेदन-पत्र निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त शासन में उच्च स्तर पर भी उक्त पदों पर नियुक्तियों के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों के विचार के लिये दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 को एक समिति के गठन का आदेश भी जारी हुआ किन्तु समिति द्वारा किसी नियुक्ति के संबंध में कोई अनुशंसा प्रस्तुत नहीं की गयी, यद्यपि समिति द्वारा जनवरी, 1995 के प्रथम पक्ष में एक बैठक आयोजित कर कतिपय अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ।

3. दिनांक 28-1-95 को शासन द्वारा समाचार-पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी कि दिनांक 1-11-94 के विज्ञापन के आदेशानुसार शासन द्वारा अब तक की गई समस्त कार्यवाही तथा इसके फलस्वरूप जारी समस्त आदेशों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख था कि उक्त विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर नियुक्ति विषयक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

4. दिनांक 15-3-95 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री कार्यालय से ऐसे प्रार्थना-पत्रों को आख्या हेतु नगर विकास विभाग को भेजा गया जिसे पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति की प्रार्थना की गयी थी । इसी प्रकार की अन्य सूचियां प्रार्थना-पत्रों सहित तत्कालीन मा० नगर विकास मंत्री कार्यालय से विभाग को प्राप्त हुयीं । नगर विकास विभाग द्वारा प्रार्थीगणों के संबंध में अर्हता का परीक्षण करके टिप्पणियां मा० मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत की गई । इस पर विचारोपरान्त जिन प्रार्थीगण के संबंध में तत्कालीन मा० नगर विकास मंत्री द्वारा नियम–31 के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, उनके संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिये निदेशक स्थानीय निकाय को आदेश जारी किये गये । आदेश में यह उल्लेख है कि नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी होगी तथा यह एक वर्ष या लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, के लिये होगी और इससे पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति निरस्त

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करने/समाप्त करने का अधिकार शासन को प्राप्त होगा । विभिन्न श्रेणियों के भिन्न-भिन्न पदों पर उपरोक्तानुसार नियम–31 के अन्तर्गत कुल 112 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के आदेश जारी हुए हैं ।

5. जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनमें से अनेक के संबंध में यह संशय व्यक्त किया गया है कि वे उच्चाधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के निकट सम्बन्धी हैं । इस बारे में परीक्षण कराया जा रहा है ।]

जनपद आगरा में अवैध कटान कर हो रही बिक्री के संबंध में श्री रमेश कान्त तवानियां स० वि० स० द्वारा **नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य**

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, आगरा से फतेहपुर सीकरी की ओर जाने वाला मार्ग लाखों देशी व विदेशी पर्यटकों के आवागमन के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

वन लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[इस मार्ग के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण कर मार्ग के सुन्दरीकरण व पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण की दृष्टि से वन विभाग द्वारा किरावली से फतेहपुर सीकरी तक पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया । विभाग द्वारा इस मार्ग पर कागजी कार्यवाही कर अपने कार्य की इतिश्री कर ली गयी है । सड़क के दोनों ओर प्राकृतिक रूप से उगा हुआ जूलीफ्लोरा लहलहा रहा है । वन विभाग द्वारा इस मार्ग के दोनों ओर केसिया, सेतिया, गोलमोहर, शीशम आदि के पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया गया था । इस मार्ग पर बड व पीपल के कुछ वृक्ष लगाकर कार्य को समाप्त कर दिया गया बचे खुचे हिस्से में प्राकृतिक रूप से उगी जूली फ्लोरा ने विभाग को सहयोग कर दिया ।

वन विभाग की लापरवाही व खुले संरक्षण के कारण शहर में लाई जा रही अवैध कटान की लकड़ी भारी मात्रा में रोजाना बेची जा रही है । वन विभाग ने पिनाहट, फतेहाबाद, बाह, जैतपुरा कला, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगलों में विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से बड़ी संख्या में पेड़ काटकर जलाऊ व फर्नीचर के उपयोग की लकड़ी को आगरा लाकर बेचा जा रहा है । विभाग द्वारा अपने वन ब्लाकों के पेड़ों का कोई भी रिकार्ड न रखने पर बहुत आसानी से पेड़ों की कटाई का कार्य जारी है ।

वक्तव्य

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत आगरा, फतेहपुर सीकरी मार्ग जो लगभग 35 कि० मी० लम्बा है, के कि० मी० 28 से 29 तक टुकड़ों में मध्यम ऊसरीला क्षेत्र है तथा कि० मी०

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

30-32 तक सम्पूर्ण ऊसरीला क्षेत्र है, जिसका पी० एच० मान 9 से 9.50 के मध्य है एवं कहीं-कहीं पर यह इससे भी अधिक है । इस भूमि पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से उगे हुए प्रोसेपिस, जूलीफ्लोरा की झाड़ियां एवं वृक्ष सेकेन्डरी प्रजातियों के रूप में है । ऊसर भूमि पर प्रोसेपिस ज्यूलीफ्लोरा ही मुख्य रोपित प्रजाति है व अन्य प्रजातियां कंजी आदि हैं । आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग पर विगत वर्षों में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र का नाम	रोपण का वर्ष	क्षेत्रफल है०	रोपित पौध	अद्यावधिक वर्तमान सफलता स्थिति प्रतिशत में
1	2	3	4	5
आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग कि० मी० 16-21 (टुकड़ों में)	1990	2है०	4.000	53
आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग कि० मी० 25-33 (टुकड़ों में)	1993	10 है०	20.000	70
आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग कि० मी० 19-25 एवं 35 (टुकड़ों में)	1995	10 है०	11.000	95
आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग कि० मी० 4 से 6	1995	5 है०	5.000	95

उक्त क्षेत्रों में मुख्यतः कंजी, पापड़ी, गुलमोहर, केसिया, बड़, पीपल, चांदनी, शीशम, बोगनवेलिया, बोटलबुश आदि प्रजातियों का रोपण किया गया है । आगामी वर्षों में आगरा किरावली फतेहपुर सीकरी मार्ग पर अन्य रिक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

आगरा शहर में पिनाहट, फतेहाबाद, बाह, जैतपुर कलां, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगलों से लकड़ी आने के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि आगरा जनपद में कृषकों के निजी भूमि पर बहुतायत में देशी बबूल, यूकेलिप्टस, बिलायती बबूल, सिरस, फरास, जामुन, अर्रु, जंगल जलेबी, पापुलर, सहजन आदि प्रजातियां पाई जाती हैं । इनके पातन एवं जनपद की सीमा में अभिवहन पर पूर्णतया छूट है । इसके अतिरिक्त प्रतिबन्धित प्रजातियों पर प्रभागीय कार्यालय से कृषकों के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करते हुए पातन अनुज्ञा जारी की जाती है, जिनकी लकड़ी आगरा शहर में लाई जाती है । अवैध रूप से काटे गये प्रतिबन्धित प्रजातियों के वृक्षों पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । विभिन्न छापों के दौरान मंडियों में मुख्यतः छूट प्रजातियों की लकड़ी मिलती है ।

विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध रूप से कटान कर लाई गई प्रकाष्ठ के संबंध में सूचित करना है कि आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन रोकने हेतु पर्याप्त नियंत्रण रखा जा रहा है । अवैध पातन प्रकाश में आने पर दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । जैसा कि पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि बाजार में लाई गई प्रकाष्ठ मुख्यतः छूट प्रजाति एवं कृषकों की स्वयं की लायी जाती है ।

आरक्षित वन ब्लाकों में उगे हुए सम्पत्त वृक्षों का विवरण प्रभाग की कार्य योजना में रखा जाता है । आरक्षित क्षेत्र में मुख्यतः प्रोसोपिस अबूल, छिंकुर, रैवज आदि प्रजातियां पाई जाती है । कहीं-कहीं नालों में तथा नहरों पर शीशम के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसका विवरण भी कार्य योजना में रहता है । आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध पातन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है ।]

जनपद पौड़ी देवप्रयाग में गंगा नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल को पूर्ण किये जाने विषयक श्री मातबर सिंह कण्डारी स० वि० स० की सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, पौड़ी में देवप्रयाग में गंगा नदी पर 80 मीटर स्टील .....

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना गया ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

। गर्डर पुल की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिनांक 15 सितम्बर, 1978 को रुपया 31.82 लाख दी गयी थी । पुल का विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् सर्वेक्षण रिपोर्ट रुड़की विश्वविद्यालय को डिजाइन बनाने के लिये भेज दी गई थी तथा पहुंच मार्ग का निर्माण वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ कर दिया गया था ।

2. रुड़की विश्वविद्यालय से डिजाइन प्राप्त होने पर पुल का मुख्य निर्माण कार्य जून, 1982 में प्रारम्भ किया गया । पुल के अबेटमेन्ट का निर्माण एवं सेतु के गर्डर का फैब्रीकेशन कार्य 1982-83 में पूर्ण कर दिया गया था ।

3. सेतु के एबेटमेन्ट से लगे दो कैन्टीलीवर भाग है जिसमें से प्रत्येक की लम्बाई 9.5 मीटर है और बीच में 61 मीटर स्पान का सेतु है । कैन्टीलीवर का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मध्य भाग के लांचिंग का कार्य बायी ओर से लांचिंग नोज द्वारा किया जा रहा था कि दिनांक 9-5-91 को जिस समय पुल का सुपर स्ट्रक्चर इरेक्शन का कार्य अंतिम चरण में था उसी समय सुपर स्ट्रक्चर का मध्य भाग लांचिंग के समय नदी में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया । पुल की महत्ता को देखते हुए शासन स्तर पर पुल निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को निदेशित किया गया कि वे पुल का पुनरीक्षित आगणन तत्काल भेजें । गिरे हुए पुल की डिजाइन आई० आई० टी० दिल्ली के प्रोफेसर डा० काजमी

नोट :–।]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा प्रोफेसर ओ० पी० जैन द्वारा चेक की गयी । निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि पूर्व डिजाइन में कोई कमी नहीं थी बल्कि ट्रैस मेम्बर्स में बेल्डिंग के कारण तथा टाप एवं बाटम कार्ड में गैपिंग के कारण पुल गिरा ।

4. डा० काजमी द्वारा नई डिजाइन तैयार की गयी है तथा थ्रो-टाइम 80 मीटर क्लीपर स्पान पुल बनाने की संस्तुति की गयी है जिस पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने दिनांक 5-8-93 को अपनी संस्तुति प्रस्तुत की । इस बीच लागत और बढ़ने के कारण पुल की पुनरीक्षित स्वीकृति रुपया 172.50 लाख प्रदान की गयी ।

पुल का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा कराया जाना है । इसलिये कार्य प्रारम्भ करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च, 1995 तक रुपया 19.00 लाख की धनराशि सेतु निगम को दी गई है । पुल की डिजाइन विशिष्ट प्रकार की होने के कारण प्रस्तावित कन्वेन्शनल सेतु की ड्राइंग, लांचिंग स्कीम तथा एवेटमेंट की भार वाहन क्षमता की पुष्टि के संबंध में दो निर्माणशालाओं त्रिवेणी स्टील लि०, इलाहाबाद (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) तथा सिंचाई विभाग रुड़की कार्यशाला से सम्पर्क किया गया और उनसे प्रस्ताव किया गया कि वे इस स्टील सेतु के फैब्रीकेशन तथा लोंचिंग का प्रस्ताव बनाये । उपरोक्त दोनों एजेन्सियों द्वारा बताया गया कि उन्हें मात्र फैब्रीकेशन का अनुभव है और लांचिग के विषय में अनुभव नहीं है । ऐसी परिस्थितियों में स्थल पर सेतु निर्माण के अन्य विकल्प सुझाये गये जिसके संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने दिनांक 27 जुलाई, 1995 को दो महाप्रबन्धकों की एक समिति गठित की है । उक्त समिति स्थल का निरीक्षण तथा तकनीकी परीक्षण करके अपनी संस्तुति देगी । इस समिति की संस्तुतियों के पश्चात् निर्माण कार्य किया जायेगा । पुल गिरने के कारणों की जांच की जा चुकी है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड विकास विभाग द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग से अपेक्षा की गई है । अग्रेत्तर कार्यवाही लोक निर्माण विभाग स्तर पर लम्बित है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 57 मिनट पर वृहस्पतिवार दिनांक 17 अगस्त, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ

16 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

अनुबंध 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–10 का उत्तर पीछे पृ० 9 पर)

भूजल स्तर के गिरावट वाले विकास खण्ड

क्रमांक	जिला	विकास खण्ड	संख्या
1	2	3	4
		(1) पश्चिमी क्षेत्र–	
(1)	आगरा	बरौली अहीर, एत्मादपुर, फतेहपुर सीकरी, शमासाबाद, वाह खैरागढ़ ।	6
(2)	अलीगढ़	इग्लास, अतरौली, चन्दौस,, लोधा, मुरसान, सासनी, सिकन्दरा राऊ ।	7
(3)	बदायूं	आसफपुर, बिसौली, इस्लामनगर, कादरचौक, म्याऊ ।	5
(4)	बरेली	फरीदपुर, रामनगर ।	2
(5)	बिजनौर	हल्दौर, किरतपुर, नहटौर, (आक)	3
(6)	बुलन्दशहर	बी० बी० नगर, धानूपुर, जहांगीराबाद, लखावटी शिकारपुर, सियाना ।	6
(7)	फर्रुखाबाद	छिबरामऊ, जलालाबाद, कमालगंज, नवाबगंज, शमसाबाद, तालग्राम, मोहम्मदाबाद ।	7
(8)	फिरोजाबाद	एका, मदनापुर, नारखी, शिकोहाबाद, टुण्डला फिरोजाबाद ।	6
(9)	गाजियाबाद	हापुड़, लोनी ।	2
(10)	मैनपुरी	बेवर, बरनाहल, सुल्तानगंज ।	3
(11)	मथुरा	सादाबाद, छाता, मथुरा ।	3
(12)	मेरठ	बढौत, बिनौली, खरखौदा, पिलाना ।	4
(13)	मुरादाबाद	बनियाखेडा, बिलारी, छिजलैट (कांठ), डींगरपुर, मुण्डापाण्डे, जोया, पवांसा, सम्भल ।	8
(14)	मुजफ्फरनगर	बुढाना, खतौली, शाहपुर ।	3
(15)	रामपुर	शाहाबाद ।	1
(16)	सहारनपुर	नकुर ।	1
			67

1	2	3	4
		(2) पूर्वी क्षेत्र–	
(1)	इलाहाबाद	करछना	1
(2)	बहराइच	गिलौला, महीपुरवा, पयागपुर ।	3
(3)	बस्ती	सल्टौवा, सौनघाट ।	2
(4)	फैजाबाद	भीटी, बीकापुर, तारून ।	3
(5)	गोण्डा	बभनजोत, छिपिया, मनिकापुर, उतरौला ।	4
(6)	गोरखपुर	खेरावार ।	1
(7)	जौनपुर	खुटहन ।	1
(8)	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज ।	1
			16
		(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र–	
(1)	हमीरपुर	पनवाड़ी ।	1
(2)	जालौन	नदीगांव ।	1
			2
		(4) मध्य क्षेत्र–	
(1)	बाराबंकी	देवा	1
(2)	फतेहपुर	भिटौरा, विजयपुर ।	2
(3)	कानपुर देहात	अकबरपुर, बिल्हौर, घाटमपुर, झींझक ।	4
(4)	खीरी	बेहजम, खीरी, मोहम्मदी ।	3
(5)	सीतापुर	बिसवां ।	1
(6)	उन्नाव	गंज मुरादाबाद, सुमेरपुर ।	2
			13
		कुल योग–	98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

पदवार विवरण

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	कार्यरत में कोटा जो बनता है			कार्यरत में स्थिति जो है			कार्यरत में कोटे में कमी		
					अ०जा०	अ०जन जा०	पि०जा०	अ०जा०	अ०जन०	पि०जा०	अ०जा०	अ०जन०जा०	पि०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>आशुलिपिक संवर्ग</u>												
1	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	x	x	x	x	x	x	01	x	x	x
2	निजी सचिव	03	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	वैयक्तिक सहायक	02	01	01	x	x	x	x	x	01	x	x	x
4	आशुलिपिक चयन श्रेणी	03	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	आशुलिपिक	45	38	07	08	x	05	06	x	15	–02	x	x
		54	47	08	08	x	05	06	x	17	–02	x	x

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>सांख्यिकी/अनुश्रवण संवर्ग</u>													
1	सांख्यिकी अधिकारी	01	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	अनुश्रवण अधिकारी	01	01	x	x	x	x	x	x	01	x	x	x
3	अपर अनुश्रवण/अपर सांख्यिकी अधिकारी	02	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	सांख्यिकी सहायक/ अनुश्रवण सहायक	17	06	11	01	x	x	x	x	01	–01	x	x
5	सांख्यिकी संगणक/	06	x	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	विधायन कार्य सहायक	27	10	17	01	x	x	x	x	02	–01	x	x

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में राजस्व ग्राम रामपुर–हिरामन में निम्न कार्य कराया गया है :–

क्रमांक	किये गये कार्यों का विवरण	सं०/लें० (मी०)	व्यय धनराशि (रु०)
1	किशुन के घर से पश्चिम सुखदेव के खेत तक मिट्टी एवं खड़न्जा कार्य	105 74.50	10.430.00
2	मकबूल के घर के पास से ईशा के बाग के पूर्वी छोर तक मिट्टी कार्य	172.70	2.622.00
3	उठाऊ चूल्हा व्यक्तिगत वितरण अन्तर्गत 22 लाभार्थियों को	22	1.408.00
4	पेयजल स्थानीय हैण्डपम्प 1 अदद एवं स्टेशनरी	1	1.067.00
5	ईसा के बाग से बगही टोला मार्ग का मरम्मत कार्य	274.60	3.887.00
6	मुख्य सड़क से पिपरा मदन गोपाल मार्ग पर नहर तक मिट्टी कार्य	110	5.290.00
7	सब्दुल के घर के पीछे खड़न्जा मरम्मत	19.60	1.225.00
		योग–	25.929.00

वर्ष 1994-95 में निम्न कार्य कराया गया है :–

1	छेदी के घर के सामने से सरजू यादव के ट्यूबवेल तक मिट्टी कार्य	147.00	7.854.00
2	अनरूल के घर के दक्षिण खड़न्जा तक मिट्टी कार्य	53.60	957.00
3	मोबिन के घर के पास से सुरेन्द्र के खेत के पास तक खड़न्जा उखाड़ एवं मरम्मत	60.00	1.920.00
4	जगदीश यादव के नाबदान से उसमान के नाबदान तक खड़न्जा निर्माण	63.00	8.966.00
5	पेयजल स्थानीय हैण्डपम्प 2 अदद	2	1.974.00
		योग–	21.671.00

अनुसूची 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

प्रथम उपखण्ड

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रु० में)	भौतिक प्रगति
जवाहर रोजगार योजना	1–अयोध्या कटरा मार्ग से ग्राम–दुर्गागंज मार्ग की पटाई का कार्य ।	1–250	प्रगति में
दस लाख कूप योजना	2–केवलपुर से मिश्रोलिया तक ड्रेन निर्माण ।	0–280	पूर्ण
,,	3–गौरा ताल ड्रेन का निर्माण	0–115	पूर्ण
,,	4–भदुई ताल ड्रेन का निर्माण	0–645	पूर्ण
,,	5–खुजुहा ताल ड्रेन का निर्माण	0–730	पूर्ण
,,	6–अचकवापुर ताल ड्रेन का निर्माण	1–170	पूर्ण
	7–ताड़ी ताल ड्रेन का निर्माण	1–035	प्रगति
सुनिश्चित रोजगार योजना	8–मजगवां जलाशय में अस्थाई वीपर का निर्माण ।	5–850	अनारम्भ
	योग–	11–075	

द्वितीय उपखण्ड

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रु० में)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4
दस लाख कूप योजना	1–कैरावगढ़ से लारम तक ड्रेन निर्माण	0–790	प्रगति में
,,	2–जिगना व गौर रमवापुर तक ड्रेन निर्माण·	0–900	प्रगति में

1	2	3	4
दस लाख कूप योजना	3–नवखान से इन्सपेक्टर डिहवा तक ड्रेन का निर्माण	0–900	पूर्ण
,,	4–बघेल खण्ड फीडर ड्रेन का निर्माण	0–796	पूर्ण
सुनिश्चित रोजगार योजना	5–गिरगिटही जलाशय को भरने हेतु पथरहवा एवं पथरौली फीडर का निर्माण	3–892	प्रगति में
,,	6–ग्राम–गोड़वा में सिंचाई तालाब निर्माण	0–369	प्रगति में
,,	7–ग्राम किला में सिंचाई तालाब निर्माण	0–595	प्रगति में
,,	8–ग्राम–लैबुंड़वा में सिंचाई तालाब निर्माण	0–206	प्रगति में
,,	9 -ग्राम धनौड़ा में सिंचाई तालाब निर्माण	0–588	प्रगति में
	योग :–	9–036	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री वासुदेव सिंह द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–72 के उत्तर का संलग्नक ।

व्यय की गयी धनराशि — ठेकेदारों का भुगतान का विवरण

क्र०सं०	चिकित्सालय/जनपद का नाम	वर्ष	स्वीकृत की गयी धनराशि	सफाई पर व्यय	मेन्टीनेंस पर व्यय	रिपेयरिंग पर व्यय	कुल व्यय	ठेकेदारों के नाम	भुगतान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला चिकित्सालय देवरिया	1992-93	70,000.00	12,773.54	57,226.46	—	70,000.00	श्री एम०एन०मिश्रा	25,328.00
								श्री अशोक कुमार राय	27,461.35
								श्री चिरंजीव पाण्डेय	12,773.54
								श्री राम आसरे द्विवेदी	4,437.11
									70,000.00

उ.प्र. विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला चिकित्सालय देवरिया	1993-94	4,00,000.00	2,20,798.15	1,79,182.82	—	3,99,980.97	श्री एस०एन०मिश्रा	1,47,517.92
								श्री चिरंजीव पाण्डेय	29,467.90
								श्री जय नारायण सिंह	1,768.10
								श्री जितेन्द्र सिंह	24,419.10
								श्री मुरलीधर पाण्डेय	55,585.20
								श्री राम आसरे द्विवेदी	4,122.00
								श्री अमर नाथ तिवारी	61,730.50
								मेसर्स टण्डन इलेक्ट्रिकल्स	39,991.75
								श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	35,378.50
									3,99,980.97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला चिकित्सालय देवरिया	1994-95	2,45,000.00	6,717.00	1,93,821.30	—	2,00,538.30	श्री एस०एन०मिश्रा श्री पारस नाथ यादव मेसर्स टण्डन इलेक्ट्रिकल्स श्री राना प्रताप सिंह श्री अशोक कुमार राय	1,32,859.60 5,890.70 43,173.00 11,898.00 6,717.00
									2,00,538.30
2	महिला चिकित्सालय देवरिया	1992-93	40,000.00	7,830.80	17,422.21	14,747.05	40,000.06	श्री एस०एन०मिश्रा श्री जितेन्द्र सिंह श्री राम आश्रय द्विवेदी श्री राम अधार प्रसाद श्री जितेन्द्र सिंह	8,854.00 14,747.05 3,903.00 7,830.80 4,665.21
									40,000.06

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	महिला चिकित्सालय देवरिया	1993-94	1,30,000.00	88,064.50	41,065.00	—	1,29,129.50	श्री एस०एन० मिश्र	1,29,129.50
	महिला चिकित्सालय देवरिया	1994-95	1,29,000.00	—	82,994.00	45,680.30	1,28,674.30	श्री एस०एन० मिश्र	1,28,674.30
3	जिला चिकित्सालय गारखपुर	1992-93	1,08,200.00	19,221.10	52,564.42	36,414.46	1,08,199.98	मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	81,533.48
								मेसर्स राजेश इण्टर प्राइजेज, गोरखपुर	17,957.50
								मेसर्स सरताज इलेक्ट्रिक वर्कस, गोरखपुर	8,124.00
								मेसर्स नावेल्टी कार्पोरेशन, गोरखपुर	585.00
									1,08,199.98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला चिकित्सालय गोरखपुर	1993-94	3,80,000.00	1,16,538.71	1,09,053.15	1,54,408.14	3,80,000.00	मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	3.28,856.65
								कुल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, गोरखपुर	4,465.00
								मेसर्स सरताज इलेक्ट्रिक वर्क्स, गोरखपुर	9,473.10
								मेसर्स जैसवाल ब्रदर्स, गोरखपुर	3,030.75
								मेसर्स राजेश इन्टर प्राइजेज, गोरखपुर	7,929.50
								मेसर्स आर०के०ट्रेडर्स, गोरखपुर	26,245.00
									3,80,000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला चिकित्सालय गोरखपुर	1994-95	4,35,000.00	47,621.22	1,25,950.17	20,000.41	3,73,578.80	मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	3,21,556.25
								मेसर्स एम०ए० सिद्दीकी, गोरखपुर	3,256.00
								मेसर्स राजेश इन्टर प्राइजेज, गोरखपुर	48,767.55
									3,73,579.80
4	महिला चिकित्सालय गोरखपुर	1992-93	100000.00	63,715.15	23,857.00	—	87,572.15	मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	87,572.15
	महिला चिकित्सालय गोरखपुर	1993-94	3,53,000.00	69,662.70	1,56,652.45	88,182.85	3,14,498.00	मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	314,498.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	महिला चिकित्सालय गोरखपुर	1994-95	2,45,000.00	83,513.55	1,51,430.45	—	479944.00	मेसर्स यू०पी०इलेक्ट्रिकल्स, वर्क्स, गोरखपुर	11,340.00
								मेसर्स राजेश इन्टर प्राइजेज, गोरखपुर	13,851.00
								मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, गोरखपुर	2,09,753.00
									2,34,944.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के 3 सरे बुधवार के लिये निर्धारित डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–74 के उत्तर का संलग्नक ।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्डों पर वर्षवार जल निगम द्वारा पेयजल योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का विवरण :–

विकास खण्ड का नाम	वर्ष				(धनराशि लाख रु० में)	
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	योग
1–थलीसैंण	73.37	29.973	48.053	41.177	34.389	226.962
2–वीरोखाल	81.071	58.823	70.388	62.060	80.350	352.692
3–पोखड़ा	39.637	13.756	29.046	23.473	14.029	119.941
4–खिर्सू	32.290	30.440	47.212	49.685	24.684	214.311
5–पावो	52.798	43.586	60.450	42.809	38.684	238.327

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं० 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ–55 पर)

युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, विभाग में निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(अतारांकित प्रश्न संख्या–116 के उत्तर का संलग्नक)

क्र० सं०	नाम	पद व जनपद	निलम्बन की तिथि, वर्ष
1	सर्वश्री हुकुम चन्द्र	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० अधिकारी, सहारनपुर ।	13-3-91
2	सर्वश्री गिरीश चन्द्र तिवारी	कनिष्ठ लिपिक पिथौरागढ़ ।	13-7-91
3	परमात्मा पाण्डेय	क्षेत्रिय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, बस्ती ।	9-7-91
4	बृजराम चन्द्र द्विवेदी	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, मैनपुरी ।	10-12-91
5	रामपाल सिंह पुण्डीर	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, बुलन्दशहर ।	24-5-93
6	अयोध्या प्रसाद तिवारी	कनिष्ठ लिपिक, बाराबंकी ।	19-7-93
7	हरिश्चन्द्र मिश्र	जिला युवा कल्याण अधिकारी, महराजंगज ।	24-5-93
8	अजय सिंह	स्टोर कीपर, कानपुर ।	25-4-94
9	भगवत सिंह	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, बिजनौर ।	12-5-94
10	सुरेन्द्र नाथ त्यागी	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी बिजनौर ।	12-5-94
11	राकेश राघव	चपरासी, अल्मोड़ा ।	1-6-94
12	राम अकबाल तिवारी	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, बहराइच ।	24-8-94
13	वासुदेव मिश्र	चालक, प्रा० वि० द० मुख्यालय, लखनऊ ।	27-8-94
14	राम किशोर पाण्डेय	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, शाहजहांपुर ।	16-9-94

पी० एस० यू० पी० एल–245 वि० सभा (735) 1995–572 (डी० टी० पी०) ।